


26 जून 2015 को
सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभा भवन
मणिपाल – 576 104
में संपन्न होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की
वार्षिक आम बैठक
की सूचना

NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF THE BANK SCHEDULED
TO BE HELD ON 26TH JUNE 2015,
AT SYNDICATEBANK GOLDEN JUBILEE AUDITORIUM
MANIPAL – 576 104



प्रधान कार्यालय: मणिपाल – 576 104
Head Office : Manipal – 576 104



वार्षिक आम बैठक/ANNUAL GENERAL MEETING

26 जून, 2015 – मणिपाल/26th June, 2015 – MANIPAL

महत्वपूर्ण घटनाओं का कैलेंडर/IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS

वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने तथा नामित करने, वोट देने और चुनाव में भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण हेतु विनिर्दिष्ट तारीख Specified Date for ascertaining the shareholders eligibility to attend AGM and to nominate, vote and contest in the election	22.05.2015
शेयरधारकों की सूची जिसे अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जाना है। List of shareholders to be made available for the candidates	04.06.2015
नामांकन फार्म के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्दिष्ट अंतिम तिथि Last date for submission of nomination form on or before	11.06.2015
नामांकन की छानबीन Scrutiny of nominations	12.06.2015
अभ्यर्थियों की उचित और उपयुक्त स्थिति का निर्धारण Ascertaining fit and proper status of the Candidates	16.06.2015 को या उससे पूर्व On or before 16.06.2015
लेखों को अंगीकार करने, लाभांश और अन्य मामले यदि कोई हों, (निदेशकों के निर्वाचन को छोड़कर) की अंतिम तिथि Cut-off date for adoptions of accounts, dividend and other matters, if any (excluding election of directors)	19.06.2015
प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति हेतु प्रॉक्सी फॉर्मों और संकल्पों की प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट अंतिम तारीख Last date of receipt of proxy forms and resolutions appointing authorized representatives	20.06.2015
नामांकन वापस लेना Withdrawal of Nominations	22.06.2015
बहियों का समापन (दोनों दिवस सम्मिलित) Book Closure (Both days inclusive)	20.06.2015 से/to 26.06.2015 तक
वार्षिक आम बैठक की तारीख और समय Date and time of Annual General Meeting	26.06.2015, 11.00 बजे/a.m.

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट:

मेसर्स. कार्वी कम्प्यूटरशेयर (प्रा.) लिमिटेड

यूनिट : सिंडिकेटबैंक

कार्वी सेलेनियम टावर बी

प्लॉट सं. 31 से 32, गचीबौली

फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद 500 032

दूरभाष: 040 67162222 या 040 67161516 (सीधा)

फैक्स सं.: 040 23001153

टोल फ्री सं. 1800-345-4001

Registrars & Share Transfer Agents:

M/s Karvy Computershare (P) Ltd.

Unit: SyndicateBank

Karvy Selenium Tower B

Plot No. 31 to 32, Gachibowli

Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032

Phone No.: 040 67162222 or 040 67161516 (D)

Fax No. 040 23001153

Toll Free No. 1800-345-4001

विषय सूची / Contents

सूचना	4
Notice	5
नोट	10
Notes	10
कार्यसूची मद सं. 3 हेतु व्याख्यात्मक कथन	17
Explanatory Statement to Agenda No. 3	17
घोषणा पत्र	27
Declaration	28
व्यक्तिगत जानकारी	29
Personal Information	30
नामांकन फार्म	35
Nomination Form	36
उपस्थिति पर्ची / प्रवेश पत्र/मतदान पत्र पास	37
Attendance Slip / Entry Pass/Ballot Paper Pass	38
प्रॉक्सी फार्म	39
Proxy Form	40



सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सिंडिकेटबैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली, 1998 के विनियम 56 के अनुसार सिंडिकेटबैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक दि. 26.06.2015 को प्रातः 11.00 बजे से सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभा भवन, मणिपाल – 576 104 (कर्नाटक राज्य), में निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करने के लिए होगी:

1. 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार बैंक के तुलन-पत्र और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के संबंध में लाभ व हानि लेखा, लेखे से संबंधित अवधि के दौरान बैंक के कार्यचालन और उसकी गतिविधियों पर निदेशक मंडल के प्रतिवेदन और तुलन-पत्र तथा लेखा पर, लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन पर चर्चा करने, उसका अनुमोदन करने और अंगीकार करने के लिए ।
2. वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश की घोषणा करने के लिए ।
3. विचार करने के लिए तथा यदि सही पाया जाए तो, आशोधन के साथ या बिना निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के तौर पर पारित करने के लिए:

“**संकल्प किया गया है कि**, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 (बैंकिंग अधिनियम), सिंडिकेटबैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमावली, 1998 (बैंक विनियम), विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 (“फेमा”) को लागू प्रावधान, भारतीय सुरक्षा एवं विनियम बोर्ड (पंजी एवं निर्गम समिति की आवश्यकताएं) विनियम, 2009 (“आई सी डी आर विनियम”), विदेशी विनियम प्रबंधन, (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण या जारी) विनियमावली 2000, भारत सरकार, जिसे लागू नियमों, विनियमों, मार्गदर्शी सिद्धांतों, परिपत्रों, स्पष्टीकरणों के द्वारा समय-समय पर भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर संशोधित और/या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा बशर्ते विधि, नियम और विनियम के अध्यक्षीन (इसमें किए गए संशोधन या वर्तमान समय में पुनः लागू अधिनियम), बैंक द्वारा उन स्टॉक विनियमों में सूचीयन करार जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, सेबी और/या केंद्रीय सरकार के अनुमोदन, सहमति, अनुमति या संस्वीकृति जो लागू हों और अपेक्षित, भारत और भारत से बाहर अन्य संबद्ध प्राधिकरणों से अनुमोदित, सहमति, अनुमति या संस्वीकृति प्रदान करने समय उनके द्वारा शर्तों, निबंधनों और आशोधनों का उनमें से किसी के द्वारा ऐसे अनुमोदनों, सहमति, अनुमति या संस्वीकृति के लिए लगाया जाना और उससे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमत होना (इसके बाद इसे “बोर्ड” कहा जाएगा, इस शब्द में बोर्ड द्वारा गठित कोई भी समिति शामिल है) बैंक की सहमति है और एतद्द्वारा बोर्ड को दी जाती है कि वह आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वह अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के माध्यम से बैंक के ईक्विटी शेयरों का सृजन, ऑफर, निर्गम, आबंटन आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII में वर्णित किए गए अनुसार संख्या में अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को करे, भले ही, वे बैंक के शेयरधारक हों या न हों/मौजूदा शेयरधारकों के लिए आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय IV के अंतर्गत अधिकार निर्गम/अनुगामि सार्वजनिक निर्गम या भारत सरकार/भा.रि.बैं. द्वारा अनुमोदित कोई भी अन्य माध्यम, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए, बोर्ड ने लागू विधि एवं विनियमों के अनुसार अपने विवेकाधिकार से ₹2000 करोड़ (दो हजार करोड़ रुपये मात्र) से अनधिक कुल रकम अनुमत की है, जो ऐसे समय या समयों पर, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर प्रीमियम सहित और ऐसे ढंग से और ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर जिसे बोर्ड अपने स्व-विवेकाधिकार से निर्धारित करे जिसमें यह विवेकाधिकार भी शामिल है, निवेशकों की उन श्रेणियों का निर्धारण



NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 56 of the SyndicateBank (Shares & Meetings) Regulations, 1998 that an ANNUAL GENERAL MEETING of the SHAREHOLDERS of SYNDICATE BANK will be held on 26.06.2015 at 11.00 a.m. at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal – 576 104 (Karnataka State) to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt, the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2015 and the Profit & Loss Account of the Bank for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the Financial Year 2014-2015.
3. To consider and if thought fit, pass with or without modification the following resolution(s) as Special Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (“the Act”), Banking Regulations Act, 1949 (Banking Act), SyndicateBank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (Bank’s Regulations), the applicable provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (“FEMA”), the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (“ICDR Regulations”), the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Securities by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, as amended from time to time and in accordance with applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications issued by Government of India (“GOI”), Reserve Bank of India (“RBI”), Securities and Exchange Board of India (“SEBI”) and/or any other competent authorities and subject to any other applicable laws, rules and regulations (including any amendment thereto or re-enactment thereof for the time being in force), the Listing Agreements entered into by the Bank with stock exchanges where the equity shares of the Bank are listed, any approval, consent, permission or sanction of SEBI and/or Central Government as applicable and required, approvals, consents, permissions or sanctions of other concerned authorities, within or outside India, and such terms, conditions and modifications as may be prescribed by any of them while granting such approvals, consent, permissions or sanctions and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “the Board” which term shall include any Committee constituted by the Board), consent of the Bank be and is hereby granted to the Board to create, offer, issue and allot by way of a Qualified Institutional Placement under Chapter VIII of ICDR Regulations, such number of Equity Shares of the Bank to Qualified Institutional Buyers as defined under Chapter VIII of ICDR Regulations, whether they be holders of the shares of the Bank or not/Rights Issue under Chapter IV of ICDR Regulations to the existing shareholders/Follow on Public Issue or any other mode approved by GOI/RBI, as may be decided by the Board in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations, for an aggregate amount not exceeding ₹2000 Crore (Rupees Two thousand

जिन्हें ऑफर, निर्गम एवं आबंटन किया जाए, ऑफर के समय बाजार की स्थितियों और अन्य संबद्ध तत्वों को ध्यान में रखते हुए ऑफर, निर्गम एवं आबंटन के समय अन्य श्रेणियों के निवेशकों का बहिष्करण और जहाँ कहीं आवश्यक हो वहाँ अग्रणी प्रबंधक(कों) एवं/या हामीदार(रों) एवं/या अन्य सलाहकार(रों) से परामर्श करके बोर्ड अपने अनन्य विवेकाधिकार से उचित या उपयुक्त निर्णय लेगा ।”

“आगे संकल्प किया गया कि जारी किए गए इक्विटी शेयर, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर के बराबर के होंगे जिनमें लाभांश शामिल हैं”

“आगे संकल्प किया गया कि, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में, आई.सी.डी.आर. विनियमावली के खण्ड VIII के अनुसरण में:

ए) आई.सी.डी.आर. विनियमावली के खण्ड VIII के तहत प्रतिभूतियों का आबंटन केवल अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियाँ पूर्ण-प्रदत्त होनी चाहिए तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन संकल्प की तिथि से 12 महीनों के अंदर हो जाना चाहिए।

बी) आई.सी.डी.आर. विनियमावली के विनियमन 85 (1) के प्रावधानों के अनुसरण में बैंक को यह प्राधिकार प्राप्त है कि वह न्यूनतम कीमत से अधिकतम पाँच प्रतिशत की छूट पर शेयर ऑफर कर सकता है जैसा कि विनियमावली में निर्धारित किया गया है।

सी) प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत के निर्धारण के लिए संबंधित तिथि आई.सी.डी.आर. विनियमावली के अनुसार माना जाएगा।

“आगे संकल्प किया गया कि, उक्त संकल्प को लागू करने के उद्देश्य हेतु बोर्ड प्राधिकृत है और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह ड्राफ्ट को अंतिम रूप प्रदान करने, उसके अनुमोदन से जुड़े सभी काम, कृत्य, विषय और कार्य करे जो इसमें शामिल हैं परंतु यहीं तक सीमित नहीं है, साथ ही, अंतिम ऑफर प्रलेख(खों) जो निर्गम के फार्म और ढंग को नियत करें, इसमें निवेशकों का वह वर्ग शामिल है जिन्हें इक्विटी शेयर निर्गमित होंगे, आबंटित किए जाएंगे जैसा कि वह वर्ग शामिल है जिन्हें इक्विटी शेयर निर्गमित होंगे, आबंटित किए जाएंगे जैसा कि वह अपने विवेकाधिकार से उचित समझे, अपने अनन्य विवेकाधिकार से निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम मूल्य का निर्धारण और शेयर के निर्गम, ऑफर एवं आबंटन से उपजे सवाल, प्रक्रियाओं, कठिनाइयों से संबंधित प्रश्नों का अपने विवेकाधिकार से समाधान करे और इसके लिए सदस्यों की सहमति या अनुमति आवश्यक नहीं होगी, दूसरे शब्दों में; यह माना जाएगा कि संकल्प के प्राधिकार के संबंध में सदस्यों की अनुमति है ।”

“आगे संकल्प किया गया कि, निदेशक मंडल प्राधिकृत है और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह इस कार्य हेतु लीड प्रबंधकों, विधि सलाहकारों, हामीदारों, बैंकरों, सलाहकारों, जो भी आवश्यक हों, उन्हें शामिल करें/नियुक्त करें, जो ऐसे इक्विटी शेयरों के ऑफर के कार्य से जुड़े हों, संबद्ध हों और उन्हें कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क आदि के रूप में पारिश्रमिक दें और ऐसी एजेंसियों के साथ करार, ज्ञापन, प्रलेखन आदि की व्यवस्था करें, निष्पादन कराएं और निर्गमित इक्विटी शेयरों की उन स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टिंग कराएं जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं ।”

“आगे संकल्प किया गया कि, निदेशक मंडल प्राधिकृत है और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह निदेशकों की समिति या अपने सभी अधिकारों या किसी अधिकार को प्रत्यायुक्त करें या निदेशकों की समिति/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यपालक निदेशक/कंपनी सचिव/बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सौंपें जो उक्त संविदा को प्रभावी बना सकें और उसे प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे कार्यों, कर्तव्यों, विषयों, मामलों को निष्पादित करे और कोई भी जरूरी परिवर्तन(नों) या संशोधन(नों) को करें जिसे उचित समझता है और ऐसा निर्देशन दें जो इक्विटी शेयरों के

Crore only) at such time or times, at such price or prices including premium in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of Investors to whom the offer, issue and allotment shall be made to the exclusion of other categories of Investors at the time of such offer, issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with lead manager(s) and/or underwriter(s) and/or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Equity Shares issued shall rank pari passu with the existing shares of the Bank including dividend.”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations:

- a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.”
- b) the Bank is pursuant to provision to Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above Resolutions, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including but not limited to finalization and approval of the draft as well as final offer document(s) determining the form and manner of the issue, including the class of investors to whom the Equity Shares are to be issued and allotted, number of Equity Shares to be allotted, issue price, premium amount on issue as it may in its absolute discretion deem fit and to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the issue, offer or allotment of shares and utilization of the issue proceeds as it may in its absolute discretion deem fit without being required to seek any further consent or approval of the members or otherwise to the end and intent that the members shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution”.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to engage/appoint Lead Managers, Legal Advisors, Underwriters, Bankers, Advisors as may be necessary and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of Equity Shares and to remunerate them by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies and to seek the listing of Equity Shares issued such on the stock exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to form a Committee of Directors to delegate all or any of its powers to Committee of Directors / Managing Director and Chief Executive Officer / Executive Directors / Company Secretary / other person authorized by the Board to give effect to the aforesaid Resolutions and is authorized to take such steps and to do all such acts, deed, matters and things and accept any alteration(s) or amendment(s) as they may deem fit and proper and give such directions as may be necessary to settle any question

निर्गम और आबंटन से उठनेवाले प्रश्नों और कठिनाइयों का समाधान करने की दृष्टि से आवश्यक हैं। साथ ही, ये शामिल हैं पर सीमित नहीं हैं:

- i. ड्राफ्ट/अंतिम ऑफर प्रलेख का अनुमोदन एवं आवश्यकतानुसार उसे किसी प्राधिकरण या व्यक्तियों को फाइल करना;
- ii. निर्गम मूल्य, आबंटन किए जानेवाले ईक्विटी शेयरों की संख्या, आबंटन का आधार और ईक्विटी शेयर के आबंटन का अनुमोदन;
- iii. ईक्विटी शेयर के निर्गम के संबंध में जरूरी सुपुर्दगी और सभी आवश्यक या वांछनीय संविदाओं, करारों और अन्य प्रलेखों, विलेखों और लिखतों का निष्पादन;
- iv. ऐसे बैंक खाते खोलना जो ऑफर के लिए आवश्यक हों;
- v. ऐसे सभी कार्य, कर्तव्य, विषय और मामलों को निष्पादित करना और ऐसे अन्य सभी प्रलेखों का निपटान करना और अपने अनन्य विवेकाधिकार से संव्यवहार के लिए आवश्यक या अपेक्षित शुल्क का भुगतान करना;
- vi. समुचित प्राधिकरणों को प्रस्तुत किए जानेवाले सभी आवश्यक आवेदनों को तैयार करना और इस संबंध में आवश्यक विनियामक फाइलिंग करना;
- vii. उस स्टॉक इक्सचेंज(जों) में बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन करना जहाँ पर बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए जाते हैं।

4. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जिसे इसके पश्चात् इसमें “विनियमन अधिनियम” कहा गया है) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) (जिसे इसके पश्चात् इसमें “अधिनियम” कहा गया है), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 (जिसे इसके पश्चात् इसमें “योजना” कहा गया है) और सिंडिकेटबैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली, 1998 (जिसे इसके पश्चात् इसमें “विनियमावली” कहा गया है) और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बी.सी. सं. 95/29.39.001/2010-11 दि. 23 मई, 2011 के साथ पठित अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08 दि. 01.11.2007 (जिसे इसके पश्चात् इसमें “भा.रि.बैं. की अधिसूचना” कहा गया है) की शर्तों के अनुसार, चयनित निदेशकों के कार्यालय में होनेवाली रिक्ति, जो दि. 18.07.2015 को होनेवाली है, को भरने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में चयन करने से संबंधित 25 मार्च 2015 को सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसरण (जिसे इसके पश्चात् भारत सरकार का दिशानिर्देश कहा गया है) में, केन्द्र सरकार से भिन्न, बैंक के शेयरधारकों, जिनसे वैध नामांकन प्राप्त हुआ है, उनमें से एक निदेशक का चयन करने तथा निम्नलिखित संकल्प पारित करने के लिए:

संकल्प किया गया कि उक्त योजना तथा विनियमावली और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार केंद्र सरकार से भिन्न, अन्य शेयरधारकों में से चयनित एक निदेशक को बैंक के निदेशक के रूप में एतद्वारा नियुक्त किया जाता है और वे दि. 18.07.2015 से अपना कार्यभार संभालेंगे तथा जिस दिन से रिक्ति उत्पन्न हो रही है और वे कार्यालय में निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं उस दिन से तीन वर्षों की अवधि पूरी होने तक अपने पद पर बने रहेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते सिंडिकेटबैंक

3/2/15

(अरुण श्रीवास्तव)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : मणिपाल

दिनांक: 26.05.2015

or difficulty that may arise in regard to issue and allotment of Equity Shares including but not limited to:

- i. Approving the draft / final offer documents and filing the same with any other authority or persons as may be required;
 - ii. Approving the issue price, the number of Equity Shares to be allotted, the basis of allocation and allotments of Equity Shares;
 - iii. Arranging the delivery and execution of all contracts, agreements and all other documents, deeds and instruments as may be required or desirable in connection with the issue of Equity Shares;
 - iv. Opening such bank accounts as may be required for the offering;
 - v. To do all such acts, deeds, matters and things and execute all such other documents and pay all such fees, as it may, in its absolute discretion, deem necessary or desirable for the purpose of the transaction;
 - vi. To make all such necessary applications with the appropriate authorities and make the necessary regulatory filings in this regard;
 - vii. Making applications for listing of the Equity Shares of the Bank on the stock exchange(s) where the equity shares of the Bank are listed
4. To elect one Director from amongst shareholders of the Bank other than Central Government in respect of whom valid nominations as prescribed have been received, in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as “ACT” read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as the “Regulation Act”), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as “Scheme”) and Syndicate Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as “Regulations”) and Notification No. DBOD No. BC No. 46 & 47 /29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No. DBOD BC No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as “RBI Notification”) and criteria laid down by Government for consideration as Non-official Directors of Public Sector Banks on March 25, 2015 (hereinafter referred to as GOI Guidelines) to fill the vacancy in the office of the elected Directors, which will arise on 18.07.2015 and to pass the following resolution:

“RESOLVED THAT One Director elected from amongst shareholders other than Central Government, pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with relevant Scheme, Regulations made thereunder, RBI notification and GOI Guidelines be and is hereby appointed as Director of the Bank and shall assume office from 18.07.2015 being the date on which vacancy arises, and hold office until the completion of a period of three years from the date of assumption of office of Director.

By order of the Board of Directors
For SYNDICATE BANK



(Arun Shrivastava)

Managing Director and Chief Executive Officer

Place : Manipal
Date : 26.05.2015

नोटः

i) व्याख्यात्मक कथन

बैठक की कार्यवाहियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का व्याख्यात्मक कथन संलग्न है।

ii) मतदान अधिकार

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2 ई) के उपबंधों यथा संशोधित 2013 के अनुसार, केन्द्र सरकार से भिन्न, समनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयर रखता/रखती है तो, वह मतदान अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा। यदि उक्त अधिनियम, योजना और विनियमावली में किए गए किसी संशोधन की वजह से इस सूचना में दी गयी वर्तमान प्रक्रिया के किसी भाग में परिवर्तन होता है तो, उक्त संशोधन अभिभावी होगा।

उपर्युक्त के अधीन रहते हुए, विनियम 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जिसका नाम विनिर्दिष्ट तारीख को यानी 22.05.2015 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है वह अपना हाथ उठाकर एक वोट दे सकता है और मतदान के मामले में, एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव के संबंध में वह प्रत्येक शेयर हेतु एक वोट के लिए पात्र होगा। लेखों को अंगीकार करने, लाभांश और अन्य मामले, यदि कोई हो (एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव के अलावा) के लिए अंतिम तारीख 19.06.2015 निर्धारित की गई है।

उक्त विनियमावली के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो उस व्यक्ति को एकल शेयरधारक माना जाएगा जिसका नाम रजिस्टर में सबसे पहले उल्लेख किया गया हो और वोटिंग के मामले में उसे एकल धारक के रूप में माना जाएगा। यदि शेयर संयुक्त नाम में हैं तो, केवल वही व्यक्ति बैठक में भाग लेने, नामित करने, चुनाव लड़ने और वोट देने के लिए पात्र है, जिसका नाम पहले है।

iii) विनिर्दिष्ट तारीख

विनियमावली के विनियम 12 के अनुसार, इस नोटिस में वर्णित, केन्द्र सरकार से भिन्न, बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले एक निदेशक के चयन के लिए चुनाव में भाग लेने यानी, **नामित करने, चुनाव लड़ने और वोट देने** के लिए पात्र शेयरधारकों के नामों को निर्धारित करने के उद्देश्य हेतु निर्दिष्ट तारीख 22.05.2015 है।

iv) प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने हेतु पात्र शेयरधारक सदस्य को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने तथा स्वयं को छोड़कर मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है। प्रॉक्सी, बैंक का शेयरधारक हो यह आवश्यक नहीं है।

तथापि, ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बात करने का अधिकार नहीं है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो सिंडिकेट बैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो, उसे प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त न किया जाए।

Notes:

i) EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

ii) VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, amended in 2013, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **Ten** per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. In case of any amendments to the Act, Regulation Act, Scheme and Regulations which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Specified date, i.e. 22.05.2015 shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him/her in respect of election of one shareholder Director. Cut-off date is fixed for 19.06.2015 for adoption of accounts, dividend and other matters, if any (Other than election of one shareholder Director).

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

iii) SPECIFIED DATE

Pursuant to Regulation 12 of the Regulations, 22.05.2015 is the Specified Date for the purpose of determining the names of shareholders entitled to participate in the election i.e. to **nominate, contest and vote** for the election of one Director representing the shareholders of the Bank other than the Central Government as mentioned in the notice.

iv) APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting. No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Syndicate Bank.

विनियम 70(vi) के अनुसार, प्रॉक्सी के किसी लिखत का ग्रांटर उस बैठक में वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा जिस लिखत से वह संबद्ध हो।

प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु प्रॉक्सी फार्म, वार्षिक आम बैठक प्रारंभ होने से कम से कम चार दिन पहले अर्थात्, 20.06.2015 को कार्य समय समाप्त होने तक बैंक के प्रधान कार्यालय, मणिपाल में अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

v) प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

बैंक का शेयरधारक, किसी कंपनी अथवा किसी निकाय कारपोरेट, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी ऐसा व्यक्ति, बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने विषयक संकल्प, जिस बैठक में वह पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित न हो, की प्रति सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल में, वार्षिक आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् 20.06.2015 को कार्य समय समाप्त होने तक जमा नहीं कर देता/कर देती।

vi) उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र-सह मतदान पत्र (उपस्थिति पर्ची)

शेयरधारक सदस्यों की सुविधा के लिए, उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस नोटिस के साथ संलग्न है, जिस पर ई-मतदान के लिए लॉगिन आई.डी. और पासवर्ड एवं आवश्यक पूर्ण विवरण मुद्रित होगा। (शेयरधारकों के पास यह विकल्प होगा कि वे ई-मतदान प्लेटफार्म में अपना मतदान कर सकते हैं। जो ई-मतदान सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते वे वार्षिक आम बैठक के दिन बैठक परिसर में अपना मतदान कर सकते हैं।) शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची में मुद्रित विवरण की जांच करें तथा उसे भरें और उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक स्थल पर सौंप दें। शेयरधारक के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर “प्रॉक्सी” अथवा “प्राधिकृत प्रतिनिधि” जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाए। मत-पत्र प्राप्त होने के लिए मतदान के समय मत-पत्र पास/प्रवेश पत्र वाला हिस्सा सौंप दें।

vii) वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां

शेयरधारक सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक आम बैठक के स्थान पर वितरित नहीं की जाएंगी इसलिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां अपने साथ लाएं जिसकी प्रति पंजीकृत पते पर बैंक द्वारा डाक से भेजी दी गयी है। इसके अलावा, वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.syndicatebank.in पर भी उपलब्ध है।

viii) लेखा विषयक सूचना

शेयरधारक यदि खाते के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो उनसे अनुरोध है कि वे बैंक को लिखें और उनके द्वारा मांगी गई जानकारी बैंक को कम से कम वार्षिक आम बैठक से एक सप्ताह पहले

As per Regulation 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy form, in order to be effective, must be received at Head Office, Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on 20.06.2015.

v) APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at Head Office, Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on 20.06.2015.

vi) ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM BALLOT PAPER PASS (The Attendance Slip)

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice, with requisite details pre-printed with the e-voting log-in id and password. (Shareholders have an option to cast their votes by using e-voting platform. Those who do not exercise e-voting facility can cast their vote at the poll to be conducted at the venue of the meeting on the date of the AGM.) Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance slip and fill in the blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholder should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as “Proxy” or “Authorised Representative” as the case may be. The portion of Ballot Paper pass/Entry Passes shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of poll.

vii) COPIES OF ANNUAL REPORT

Shareholder Members are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence, the Members are requested to bring their copies of the Annual Report, which are mailed by the Bank to them at the registered addresses. Additionally, the Annual Report has been hosted on Bank's website www.syndicatebank.in.

viii) INFORMATION ON THE ACCOUNTS

Shareholders seeking any information on the Accounts are requested to write to the Bank, which should reach the Bank atleast one week before

मिल जानी चाहिए ताकि प्रबंधन वर्ग सूचना तैयार करके रख सके ।
वार्षिक आम बैठक के समय उनके जवाब दिए जायेंगे ।

ix) बही बंदी

वार्षिक आम बैठक के सिलसिले में और अंतिम लाभांश 2014-15 की पात्रता निर्धारित करने के लिए शेयरधारकों की पंजी और बैंक की शेयर अंतरण पंजी 20.06.2015 से 26.06.2015 तक (दोनों दिन शामिल हैं) बंद रहेंगी ।

x) लाभांश का भुगतान

दि. 09.05.2015 को संपन्न बैठक में बैंक के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण प्रदत्त ₹10 के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹4.70 (रुपए चार एवं पैसे सत्तर मात्र) का लाभांश देने का प्रस्ताव रखा है । निदेशक मंडल द्वारा लाभांश की संस्तुति की गई तथा 16 वीं वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित होने पर इसका निम्न प्रकार से भुगतान किया जाएगा:

ए) इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्थित शेयरों से संबंधित सभी हिताधिकारियों जिनके डेटा, नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के पास उपलब्ध हैं उन्हें दि. 19 जून 2015 को कार्यालय समय की समाप्ति तक दिया जाएगा ।

बी) भौतिक रूप में शेयर धारण करनेवाले उन सभी सदस्यों को, जिन्होंने 19 जून, 2015 को कार्यालय समय की समाप्ति तक की स्थिति में स्थानांतरण अनुरोध के तहत वैध स्थानांतरण करवाया हो और उसे बैंक/बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर स्थानांतरण एजेंट यानी मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद (आर.टी.ए.) के यहाँ दर्ज किया गया हो ।

सी) 16 वीं वार्षिक आम बैठक की तिथि से 30 दिनों के भीतर पात्र शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा ।

xi) लाभांश वारंटों में बैंक खाते का विवरण/नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एन ई एफ टी) की सुविधा/ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (एन ई सी एस) की सुविधा:

लाभांश भुगतान के लिए एन एस डी एल/सी डी एस एल में पंजीकृत बैंक खाता विवरण तथा संबंधित डिपॉजिटरी से आर टी ए द्वारा डाउनलोड किए गए विवरण का प्रयोग बैंक करेगा । इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखनेवाले सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे अपने डिपॉजिटरी सहभागी के यहाँ पंजीकृत बैंक विवरण को अद्यतन करवाएँ ताकि बही-बंदी शुरू होने से पहले उसे अद्यतन किया जा सके । इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से प्राप्त किसी भी प्रकार के बैंक विवरण संबंधी परिवर्तनों को बैंक या उनके रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट सीधे कुछ भी नहीं कर सकते । ऐसे परिवर्तनों को करने के लिए सदस्य के सिर्फ डिपॉजिटरी सहभागी को ही सलाह दी जाए ।

the date of the Annual General Meeting to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only at the Annual General Meeting.

ix) BOOK CLOSURE

The Register of Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from 20.06.2015 to 26.06.2015 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the entitlement of dividend 2014-2015.

x) PAYMENT OF DIVIDEND

The Board of Directors of the Bank in its meeting held on 09.05.2015 has recommended dividend @ ₹4.70(Rupees Four and paise Seventy only) per equity share of ₹10/- each fully paid up, for the financial year ended 31st March 2015. Dividend as recommended by the Board of Directors and approved at the 16th Annual General Meeting will be paid as under:

a) To all beneficial owners in respect of shares held in electronic form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Limited (NSDL) and the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as of the close of the business hours on 19th June 2015;

b) To all the members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transfers in respect of transfer requests lodged with the Bank / Bank's Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad (RTA) on or before the close of business hours on 19th June 2015.

c) The dividends will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of the 16th Annual General Meeting.

xi) DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANTS/NATIONAL ELECTRONIC FUNDS TRANSFER FACILITY (NEFT)/NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE FACILITY (NECS):

The Bank for payment of dividend will use the details of Bank Account registered with the NSDL/ CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Members holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account should be updated with their respective Depository Participant so as to get updated before the commencement of the Book closure. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent can not act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.

कागजी रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में किसी प्रकार का परिवर्तन है तो वैध प्रलेखी साक्ष्य सहित विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र तुरंत बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट यानी मे. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को भेजें। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य केवल अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी को ही पता परिवर्तन हेतु सलाह देंगे न कि बैंक या बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट को।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक या बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के साथ पत्राचार करते समय अपने फोलियो संख्या (जिनके पास शेयर कागजी रूप में हो) तथा डी पी आई डी/क्लाइंट आई डी संख्या (जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक/डिमैट रूप में हो) दें।

ए) अंतरण

अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र अंतरण हेतु रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को भेजे जाने चाहिए। मई 2009 से सेबी ने शेयरों के अंतरण के प्रस्तुतीकरण के समय अंतरिती द्वारा पैन कार्ड के ब्यौरे (पैन कार्ड की अनुप्रमाणित प्रति) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है।

बी) पते में परिवर्तन

ए) कागजी फॉर्म में शेयर रखना

कागजी फॉर्म में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपना पंजीकृत पता, लाभांश अधिदेश और बैंक, शाखा एवं बैंक खाता संख्या इत्यादि में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर सूचित करें:

मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर (प्राइवेट) लिमिटेड

यूनिट: सिंडिकेटबैंक,

कार्वी सेलेनियम टावर बी,

प्लॉट सं. 31 से 32, गचीबौली,

फिनांशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,

हैदराबाद – 500 032

दूरभाष सं.: 040 67162222 या 040 67161516 (सीधा)

फैक्स सं. 040 23001153

टॉल फ्री सं. 1800-345-4001

पते में परिवर्तन के लिए अनुरोध निर्धारित फार्मेट में पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति और पते का सबूत जैसे, दूरभाष बिल, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बिजली बिल इत्यादि की अनुप्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाए। पते में परिवर्तन का फार्मेट वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

बी) इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर रखना

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अर्थात् डी-मैट खाते में शेयर रखनेवाले हिताधिकारी स्वामी के मामले में बैंक केवल उनके डिपॉजिटरी

Members holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad. Members holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

a) TRANSFERS

Share Certificates along with share transfer deeds should be forwarded to the Registrar and Share Transfer Agent for effecting transfer. Since May 2009, the SEBI has made submission of PAN Card details (attested copies of PAN Card) mandatory by the Transferee(s) at the time of submission for transfer of shares.

b) CHANGE OF ADDRESS

a) HOLDING OF SHARES IN PHYSICAL FORMS

Shareholders' holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, dividend mandate and the particulars of the Bank, Branch and Bank account number, etc., to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s Karvy Computershare (P) Ltd.

Unit: Syndicate Bank

Karvy Selenium Tower B,

Plot No. 31-32, Gachibowli,

Financial District, Nanakramguda,

Hyderabad 500 032

Phone No. 040 67162222 or 040 67161516 (D)

Fax No. 040 23001153

Toll Free No. 1800-345-4001

Request for change of address should be submitted in the prescribed format alongwith self attested copies of PAN Card and address proof, such as attested copies of Telephone Bill, Passport, Voter ID Card, Ration Card, Driving License, Aadhar Card, Electricity bill etc. Change of address format is enclosed to the Annual Report.

b) HOLDING OF SHARES IN ELECTRONIC FORM

In case of Beneficial owners holding shares in Electronic Form i.e. through a Demat account,

सहभागी (डी.पी.) के पास उपलब्ध ब्यौरे जैसे, पता, लाभांश अधिदेश और बैंक, शाखा, बैंक खाता संख्या इत्यादि को ही गणना में लेगा ।

इसलिए हिताधिकारी स्वामियों से यह सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपना पता, बैंक संबंधी विवरण इत्यादि को विधिवत् अपलोड करवाएं ताकि वे तत्संबंधी संसूचना, वार्षिक रिपोर्ट, लाभांश इत्यादि समय पर प्राप्त कर सकें ।

सी) बैंक के शेयरों का बेकागज़ी रूप में (डीमैट) अनिवार्य व्यापार

भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसरण में सभी निवेशकों के लिए हमारे बैंक के शेयरों का बेकागज़ी रूप में व्यापार 26 जून 2000 से अनिवार्य कर दिया गया है ।

बैंक ने नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपोज़िटरी लिमिटेड (एन.एस.डी. एल.) और सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सी.डी. एस.एल.) से बैंक के शेयरों के बेकागज़ीकरण के लिए निर्माकर्ता कंपनी के रूप में करार किया है ।

बेकागज़ीकरण संबंधी अनुरोध, संबंधित डिपोज़िटरी सहभागी के माध्यम से हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को भेजे जाएं ।

डी) बैंक द्वारा प्रदान की जानेवाली डी.पी. सेवाएं
हमारा बैंक निम्नलिखित डी.पी. सेवाएँ प्रदान करता है:

1. बेकागज़ीकरण
2. पुनः कागज़ीकरण
3. प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना
4. सुपुर्दगी द्वारा व्यापार का निपटान-ऑन मार्केट, ऑफ मार्केट और इंटर डिपोज़िटरी ।
5. प्रतिभूतियों की गिरवी/गिरवी मुक्त करना
6. डीमैट खातों को जब्त करना/मुक्त करना

डी.पी. सेवाएं युक्त शाखाओं के ब्यौरे हमारे बैंक के वेबसाइट www.syndicatebank.in पर उपलब्ध हैं ।

ई) फोलियो का समेकन

एक ही नाम पर तथा उसी क्रम में विभिन्न फोलियों में शेयरधारण करनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ऐसे शेयरधारण के ब्यौरे शेयर अंतरण एजेंटों को प्रस्तुत करें ताकि वे उन शेयरधारित राशि को एक ही शेयरधारित राशि के अंतर्गत समेकित कर सकें । इससे बैंक, शेयरधारकों को और अधिक कारगर ढंग से सेवा दे पायेगा ।

एफ) निवेशक संपर्क केन्द्र

शेयरधारकों को शीघ्र और दक्षतापूर्ण सेवा उपलब्ध कराने के लिए सिंडिकेटबैंक ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय, बेंगलूरु में निवेशक संपर्क विभाग खोला है । शेयरधारक किसी भी सहायता के लिए इस केन्द्र

the Bank will take into consideration only the details like address, dividend mandate and the particulars of the Bank, Branch and Bank account number etc., available with their Depository Participant (DP).

BENEFICIAL OWNERS ARE, THEREFORE, REQUESTED TO ENSURE THAT THE ADDRESS, BANK DETAILS, ETC., ARE DULY UPLOADED WITH THEIR DEPOSITORY PARTICIPANTS SO THAT THEY MAY RECEIVE THE COMMUNICATION, ANNUAL REPORTS, DIVIDEND ETC., IN TIME.

c) COMPULSORY TRADING OF SHARES OF THE BANK IN DEMATERIALIZED (DEMAT) FORM:

Pursuant to the directive given by SEBI, trading of our Bank Shares in Dematerialized form has been made compulsory for all investors with effect from June 26, 2000.

The Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as an issuer company for dematerialization of Bank's shares.

Request for dematerialization may be sent through respective Depository Participants to our Registrar and Share Transfer Agent.

d) DP SERVICES OFFERED BY THE BANK

Our Bank provides following DP Services-

1. Dematerialization.
2. Rematerialisation.
3. Holding of securities in electronic form.
4. Settlement of trades by delivery - On market, off market and Inter-depository.
5. Pledge/Unpledge of securities.
6. Freezing/unfreezing of Demat Accounts.

Details of branches enabled for DP Services are available in our Bank's Website www.syndicatebank.in

e) CONSOLIDATION OF FOLIOS

Shareholders holding shares in various folios with identical names and in same order are requested to furnish details of such holding to the Share Transfer Agents, to enable them to consolidate those holdings into a single holding. This will facilitate the Bank to service the shareholders more effectively.

f) INVESTOR RELATIONS CENTRE

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, Syndicate Bank has set up an Investor Relations Centre at its Corporate Office, Bengaluru. Shareholders may contact

से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं:

कंपनी सचिव
निवेशक संपर्क केन्द्र
सिंडिकेटबैंक, कॉरपोरेट कार्यालय
2 क्रॉस, गांधीनगर,
बेंगलूरु - 560 009 (कर्नाटक)
दूरभाष: 080 - 22283030 फैक्स: 080 - 22283030
ईमेल: inrc@syndicatebank.co.in (सामान्य)
निवेशक की शिकायत : syndinvest@syndicatebank.co.in

this Centre at the under mentioned address for any assistance-

The Company Secretary
Investor Relations Centre
SyndicateBank - Corporate Office
2nd Cross Gandhinagar
Bengaluru - 560 009 (Karnataka)
Tel 080 - 22283030, Fax - 080 - 22283030
E-mail: inrc@syndicatebank.co.in (General)
Investor Grievances: syndinvest@syndicatebank.co.in

इलेक्ट्रॉनिक साधनों से मतदान

कंपनी नियम 2014 (प्रबंधन और प्रशासन) के नियम 20 के साथ पठित सूचीकरण करार के खंड 35-बी के अनुसार बैंक के सदस्यों को आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है।

बैंक के सदस्य, बैठक की सूचना में निहित इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से कार्यवाहियों की सभी मर्दों का कार्यसंपादन कर सकते हैं।

कंपनी सचिव के रूप में कार्यरत मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कंपनी, को बैंक द्वारा एक संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप में संपन्न करेंगे। संवीक्षक, ई-मतदान अवधि की समाप्ति की तिथि से तीन कार्य दिवसों के भीतर मतदान की रिपोर्ट, बैंक के कार्यपालक निदेशक/प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत करेंगे कि मतदान समर्थन में हुआ या विरोध में। इसका परिणाम स्टॉक एक्सचेंज को भेजा जाएगा और बैंक के वेबसाइट में तथा ई-मतदान एजेन्सी में दर्शाया जाएगा।

निर्दिष्ट दिनांक

बैंक ने लेखों को अंगीकार करने, लाभांश और अन्य मामले, यदि कोई हो, (एक निदेशक के चुनाव को छोड़कर) ई-मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों के मतदान के हक को निर्धारित करने के लिए शुक्रवार, 19 जून 2015 को निर्दिष्ट दिनांक के रूप में निश्चित किया है।

ई-मतदान के लिए अनुदेश

1. ई-मतदान के लिए निम्नांकित यूआरएल का प्रयोग करें:
कार्वा वेबसाइट से: <https://evoting.karvy.com>
2. अभिलेख दिनांक पर, भौतिक रूप में या डिमैट रूप में शेयर रखनेवाले बैंक के शेयरधारक अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकते हैं।
3. लॉगिन क्रेडेन्शियल्स की प्रविष्टि करें [अर्थात् वार्षिक आम बैठक की उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित यूजर आई डी और पासवर्ड]। आपकी फोलियो सं./डीपी आईडी/ग्राहक आईडी ही आपकी यूजर आईडी होगी।
4. ब्यौरे को समुचित रूप से प्रविष्ट करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें।
5. आपको पासवर्ड परिवर्तन मेनु दिखाई देगा जहाँ आपको अनिवार्य रूप से अपने पासवर्ड का परिवर्तन करना पड़ेगा। नया पासवर्ड न्यूनतम 8 कैरेक्टर का होगा जिसमें कम से कम एक अप्पर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक संख्यात्मक (0-9) और एक विशेष कैरेक्टर होंगे।

VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

Pursuant to Clause 35-B of the Listing Agreement read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, it is mandatory to extend to the Members of the Bank, the facility to vote at the General Meeting by electronic means.

Members of the Bank can transact all the items of the business through electronic voting system as contained in the Notice of the Meeting.

The Bank has appointed M/s S. N. ANANTHA-SUBRAMANIAN and Co., Company Secretaries, as Scrutinizer who will conduct the electronic voting process in a fair and transparent manner. The Scrutinizer shall within a period of three working days from the date of conclusion of e-voting period, submit their report of the votes cast in favour or against, if any, to the Executive Director/Managing Director of the Bank. The result of the same will be disclosed to the Stock Exchanges and hosted on the website of the Bank and the e-voting agency

CUT-OFF DATE

The Bank has fixed Friday, the 19th June 2015 as the Cut-off date for determining voting rights of shareholders entitled to participating in the e-voting process for adoption of accounts, dividend and other matters, if any, (excluding election of one Director).

INSTRUCTION FOR E-VOTING

1. To use the following URL for e-voting:
From Karvy website: <https://evoting.karvy.com>
2. Shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the record date, may cast their vote electronically.
3. Enter the login credentials [i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip of the AGM]. Your Folio No/DP ID & Client ID will be your user ID.
4. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
5. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9)

सिस्टम आपको प्रथम लॉगिन में अपने पासवर्ड को बदलने और मोबाइल, ई-मेल आदि संपर्क ब्यौरों को अद्यतन बनाने का सुझाव देगा। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो अपनी पसंद का गुप्त सवाल और जवाब की प्रविष्टि कर अपने पासवर्ड का पता लगा सकते हैं। अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न दें और उसे गोपनीय रखने में अत्यधिक सावधानी बरतें।

6. आपको नए क्रेडेंशियल के साथ फिर से लॉगिन करना पड़ेगा।

कार्यसूची की मद संख्या 1, 2 एवं 3 के लिए

7. सफलतापूर्वक लॉगिन होने पर सिस्टम आपको **ईवेंट** अर्थात् सिंडिकेटबैंक का चयन करने का सुझाव देगा।
8. मतदान पृष्ठ पर, **अंतिम तारीख** (19 जून 2015) की स्थिति में शेयरधारकों द्वारा रखे गए शेयरों की संख्या दिखाई देगी।
9. कार्यसूची की मद संख्या 1 और 2 के संबंध में **पक्ष या विपक्ष**, जो भी लागू हो, उस पर क्लिक कर सकते हैं।
10. आप किसी भी आंशिक संख्या को **पक्ष** में और आंशिक संख्या को **विपक्ष** में भी प्रविष्ट कर सकते हैं परंतु **पक्ष/विपक्ष** दोनों की कुल संख्या धारित शेयरों की कुल संख्या से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप “अलग रहना” (अबस्टैन) विकल्प का भी चयन कर सकते हैं।
11. एक समुचित विकल्प का चयन करने के बाद अपना मतदान करें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें। इसकी पुष्टि करनेवाला ‘बॉक्स’ दिखाई देगा। पुष्टि करने के लिए ‘ओ.के.’ पर क्लिक करें अन्यथा आशोधित करने के लिए ‘कैंसिल’ पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने पर आपको अपने मत को आशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। शेयरधारक मतदान की अवधि के दौरान संकल्प पर उनके मतदान होने तक कई बार लॉगिन कर सकते हैं।

कार्यसूची की मद संख्या 4 के लिए

12. कार्यसूची की मद संख्या 3 के संबंध में, जो विशेष तिथि में यानी 22 मई 2015 में शेयर धारण किए हैं वे स्क्रीन पर आनेवाले उम्मीदवारों में से अधिकतम एक उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। एक से अधिक उम्मीदवारों को मतदान करने पर आपका मत अवैध हो जाएगा।
13. पुष्टि करने के लिए “ओ.के.” पर क्लिक करें अन्यथा आशोधित करने के लिए “कैंसिल” पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने पर आपको अपने मत को आशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। शेयरधारक मतदान-अवधि के दौरान संकल्प पर अपने मतदान होने तक कई बार लॉगिन कर सकते हैं।
14. कई फोलियो/डिमैट खाता रखनेवाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डिमैट खाता के लिए अलग मतदान प्रक्रिया का चयन कर सकते हैं।
15. शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर मतदान करने के बाद वह किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता।
16. मतदान के लिए दि.23.06.2015 के प्रातः 9 बजे से दि.25.06.2015 के अपराह्न 6 बजे तक पोर्टल खुला रहेगा।
17. किसी भी प्रकार की अन्य पूछताछ के लिए <https://evoting.karvy.com> के डाउनलोड भाग पर उपलब्ध शेयरधारकों द्वारा बार-बार पूछे गए प्रश्न (एफ ए क्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ लें या दूरभाष सं.1800 345 4001 (शुल्क रहित) पर कार्बी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें।

and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

6. You need to login again with the new credentials.

For Agenda Items No.1, 2 & 3

7. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., Syndicate Bank.
8. On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the **Cut-off Date** (19th June 2015) will appear.
9. In respect of Agenda items no.1 and 2, you may click on the FOR OR AGAINST, as the case may be.
10. Alternately you may enter partially any number in FOR and partially in AGAINST but the total number in FOR/AGAINST taken together should not exceed the total shareholding. You may also choose the option ABSTAIN.
11. Cast your vote by selecting an appropriate option and click on SUBMIT. A confirmation box will be displayed. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolution

For Agenda Item No.4

12. In respect of Agenda No. 4, those holding shares as on the Specified Date i.e. 22nd May 2015, can cast their vote in favour of maximum ONE candidate, out of the contesting candidates whose names will appear on the screen. Casting vote exceeding ONE candidate shall render your vote as invalid.
13. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the Election.
14. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account.
15. Once the vote on the resolution is cast by the shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
16. The Portal will be open for voting from : 9 a.m. on 23.06.2015 to 6 p.m. on 25.06.2015.
17. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of <https://evoting.karvy.com> or contact Karvy Computershare Pvt. Ltd. at Tel. No. 1800 345 4001 (toll free).

वार्षिक आम बैठक के स्थान पर वोटिंग / पोलिंग

ई-मतदान के अलावा, वे व्यक्ति, जिन्होंने ई-मतदान के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, पोल के माध्यम से भी वोटिंग कर सकते हैं। मतदान पर्ची/पर्चियों को इस संबंध में घोषणा करने के पश्चात जारी किया जाएगा और वोट की संख्या, उनके द्वारा निर्धारित तारीख/कट-ऑफ तारीख यानी 22.05.2015/19.06.2015, जो भी मामला हो, धारित शेयरों की संख्या के बराबर होगी।

शेयरधारक मतदान पर्ची में, नोटिस की कार्यसूची मद सं.1, 2 एवं 3 से संबंधित कॉलम में टिक लगाते हुए अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मतदान पर्ची/पर्चियों को मत पेटिका/मत पेटिकाओं में डाल दिया जाए।

इसके बाद वोटों की गिनती की जायेगी और बैठक के अध्यक्ष द्वारा ई-मतदान और बैठक के दौरान आयोजित पोलिंग के माध्यम से प्राप्त कुल वोट के आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किए जायेंगे।

ई-मतदान के परिणामों के साथ पोलिंग का कुल परिणाम बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई एवं बीएसई को भी इसे सूचित किया जाएगा।

कार्यसूची मद संख्या (3) का व्याख्यात्मक कथन

निरंतर बदलते हुए कारोबारी परिदृश्य में बढ़ते हुए कारोबारी स्तर के प्रबंधन के साथ-साथ बासेल-III मानदंडों का अनुपालन करने हेतु बैंक को अतिरिक्त पूंजी की तत्काल आवश्यकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित बासेल-III पूंजी में दिशानिर्देशों के अनुसार, सी आर ए आर को कम से कम 9% बरकरार रखा जाना है। वर्ष 2016 से आगे बैंकों द्वारा पूंजी संरक्षण बफर (सी सी बी) सहित इस अनुपात को उत्तरोत्तर 11.50% बढ़ाया जाना है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार बैंक द्वारा लिवरेज अनुपात को 4.50% पर बरकरार रखा जाना है। वर्तमान तथा आगामी वर्षों के लिए अनुमानित विभिन्न प्रकार की आस्तियों एवं कारोबार संवर्द्धि से संबंधित जोखिम भार पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए उच्चतर पूंजी खासकर टियर-I पूंजी की आवश्यकता है।

कई उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों से संबंधित पत्रांक डीबीओडी. सं. बीपी. बीसी. 42/21.01.002/2007-08 दिनांक 29.10.2007 में बैंकों को विभिन्न प्रकार के टियर-I और टियर-II साधनों के द्वारा अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश हेतु अनुमति दी गई है, को ध्यान में रखकर, बैंक ने अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यू आई पी), अधिकार निर्गम, अनुगामि सार्वजनिक निर्गम या भारत सरकार/भा.रि.बैं. द्वारा अनुमोदित कोई भी अन्य माध्यम से एक या एक से अधिक भागों में इक्विटी शेयर जारी करके ₹2000 करोड़ (दो हजार करोड़ रुपये मात्र) तक पूंजी बढ़ाने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करने की योजना बनाई है और उसके नियम एवं शर्तें वही होंगी जो बैंक के सर्वोत्तम हित में हों। बाजार की मौजूदा तिथि के अनुसार कूपन दर पर बेसल III से युक्त टियर-I बांडों को ₹1,800.00 करोड़ तक तथा टियर-II बांडों को ₹1,750.00 करोड़ तक बढ़ाने की योजना भी बैंक ने बनाई है।

इक्विटी शेयर को जारी करने से संबंधित सूचना में विशेष संकल्प प्रस्तावित किया गया जैसा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी जारी करने एवं प्रकटीकरण जरूरतें) विनियम, 2009 (“आई सी डी आर विनियम”) के अध्याय VIII के अंतर्गत ₹2000 करोड़ (दो हजार करोड़ रुपये मात्र) तक के अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीददार के लिए दिया गया है।

VOTING/POLLING AT THE VENUE OF AGM

Apart from e-voting, the voting shall also be done by Poll for those who have not exercised their option of e-voting. The issue of Ballot Paper/s will commence immediately after an announcement in this regard is made and the number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Specified Date/Cutoff Date i.e. 22.05.2015/19.06.2015, as the case may be.

The Shareholders may exercise their right by affixing a tick in the relevant columns in the Ballot Paper with respect to Agenda item Nos. 1, 2 & 3 of the Notice. Ballot Paper/s may be dropped in the Ballot Box(es) kept for the purpose.

The counting of votes would be taken up thereafter and the Chairman of the meeting will announce the final results based on the aggregate of votes secured through e-voting and poll conducted at the meeting.

The Results of the poll aggregated with the results of e-voting will be hosted on Bank's website and shall also be informed to the stock exchanges i.e. NSE & BSE.

Explanatory Statement to Agenda Item No. 3

To cater to its increasingly growing business level in the continually changing business scenario and to comply with the Basel-III norms, the Bank needs additional capital immediately.

As per RBI prescribed Basel III Capital Guidelines, minimum CRAR is to be maintained at 9%. Banks have to progressively increase this ratio to 11.50% including Capital Conservation Buffer (CCB) from the year 2016 onwards. Bank also needs to maintain Leverage Ratio at 4.50%, as per RBI guidelines. Higher Capital, particularly Tier I Capital is needed in view of the RBI guidelines on risk weights on various categories of assets and business growth projected for the current year and in the coming years.

After evaluating the various available alternatives as well as taking into consideration the Reserve Bank of India's guidelines bearing Reference No.DBOD. No. BP.BC.42/21.01.002/2007-08 dated 29.10.2007 permitting the Banks to access capital market for their raising capital through different types of Tier-I and Tier-II instruments, the Bank has planned to access capital market for raising capital upto the extent of ₹2000 Crore (Rupees Two thousand Crore only) by issuing equity shares by way of Qualified Institutional Placement (QIP), Rights Issue, Follow on Public Issue or any other mode approved by GOI/RBI, in one or more tranches and subject to terms and conditions as may be felt to be in the best interest of the Bank. Bank has also planned to raise Basel III Compliant Additional Tier I Bonds upto ₹1,800.00 Crore and Tier II bonds upto ₹1,750.00 Crore at coupon rates as per prevailing market conditions.

The Special Resolution proposed in the Notice relates to the issue of equity shares as Qualified Institutional Placement under Chapter VIII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (“ICDR Regulations”) to Qualified Institutional Buyers for an amount not exceeding ₹2000 Crore (Rupees Two Thousand Crore only).

चूँकि, बैंक के ईक्विटी शेयर को सूचीकरण करार के खंड 23 के अनुसार बाजार में सूचीबद्ध किया गया है, अतः यह आवश्यक है कि किसी भी आगे की प्रतिभूति के ईश्यू को शेयरधारकों से अनुमोदित करा लिया जाए यदि आनुपातिक आधार पर उन्हें प्रस्तावित न किया गया हो।

यह नोट किया जाए कि शेयरधारकों के अनुमोदन के अतिरिक्त, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यू आई पी) के माध्यम से जारी ईक्विटी शेयर सांविधिक, विनियामक या इस संबंध में लागू अन्य निर्देशों के अनुपालन के अधीन होंगे।

ईक्विटी शेयर को जारी करने के विस्तृत नियम एवं शर्तें वर्तमान बाजार की स्थिति पर विचार करते हुए व्यापारी बैंकों, अग्रणी प्रबंधकों, सलाहकारों और ऐसे अन्य प्राधिकारियों जो बैंक द्वारा विचारणीय हों, के साथ विचार-विमर्श करके बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएंगी। ईक्विटी शेयर एक से अधिक भाग में, उपयुक्त समय या समयों पर, उपयुक्त मूल्य या मूल्यों पर और उपयुक्त निवेशकर्ता को जारी करने हेतु बोर्ड के विवेकानुसार से जो सही हो, ऐसा करने हेतु बोर्ड को अधिकार देने के लिए विशेष संकल्प लिया जाए।

नोटिस में वर्णित विशेष संकल्प के लिए आपके अनुमोदन को निदेशक मंडल संस्तुत करते हैं।

बैंक के किसी भी निदेशक की विशेष संकल्प में संबद्धता या रुचि नहीं है।

संकल्प (4) का व्याख्यात्मक कथन

एक शेयरधारक निदेशक का चयन

• निदेशकों के चयन के लिए शेयरधारकों के अधिकार

17 जुलाई 2012 को संपन्न वार्षिक आम बैठक के दौरान आयोजित चुनाव में सुश्री जसलीन सूरी और श्री आनंद के. पंडित को शेयरधारक निदेशकों के रूप में चयनित किया गया और उन्होंने सिंडिकेटबैंक (शेयर और बैठक) विनियामावली, 1998 के विनियम 66 (iii) की शर्तों के अनुसार, 18 जुलाई 2012 को तीन वर्षों की अवधि के लिए पदभार ग्रहण किया जिनकी अवधि दि.17.07.2015 को समाप्त हो जाएगी। दिनांक 25.06.2013 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में, श्री अतुल ए. गलांडे को 3 वर्षों की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में चयनित किया गया। उन्होंने दि. 26.06.2013 को पदभार ग्रहण किया। सुश्री जसलीन सूरी ने दि. 11.12.2014 को निदेशक के पद से इस्तीफा दिया।

भारत सरकार को अधिमाम्य आधार पर 3,74,74,541 ईक्विटी शेयरों का आबंटन किए जाने पर, आमजनता की शेयरधारिता 30.76% तक कम हो गई। इसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार के अलावे शेयरधारकों द्वारा चयनित किए जानेवाले निदेशकों की संख्या दो हो गई।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए तथा रिक्ति को भरने के उद्देश्य से बैंक ने केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से एक निदेशक का चयन करने हेतु चुनाव आयोजित करने का निर्णय लिया है। अतएव, शेयरधारक (केन्द्र सरकार से भिन्न) विभिन्न तथा संगत अधिनियमों, विनियमन अधिनियम, योजना, विनियमावली और भा.रि.बैं. की अधिसूचना में दी गयी प्रक्रियाओं के अनुसार अपना नामांकन भेजने के लिए पात्र हैं। उसका संगत भाग निम्नवत् है:

इस प्रकार से चयनित निदेशक 18.07.2015 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे।

As the equity shares of the Bank is listed with the Stock Exchanges pursuant to Clause 23 of the Listing Agreement, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security if not offered to them on a proportionate basis.

It may be noted that apart from the approval of the shareholders, the issue of equity shares by way of Qualified Institutional Placement (QIP) would be subject to compliance of all statutory, regulatory or any other applicable guidelines in this regard.

The detailed terms and conditions for the issuance of the Equity Shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors. The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit.

The Board of Directors recommends for your approval the Special Resolution mentioned in the Notice.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the Special Resolution.

EXPLANATORY STATEMENT TO RESOLUTION (4)

ELECTION OF ONE SHAREHOLDER DIRECTOR

• RIGHT OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTORS

At the Annual General Meeting (AGM) held on 17th July 2012 Ms. Jasleenn Suri and Mr. Anand K. Pandit were elected as shareholder Directors and they assumed office in terms of Regulations 66 (iii) of the Syndicate Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1998 on 18th July 2012 for a period of three years which ends on 17.07.2015. In the AGM held on 25.06.2013, Sri Atul A. Galande was elected as Shareholder Director for a period of 3 years. He assumed office on 26.06.2013. Ms. Jasleenn Suri resigned from the directorship with effect from 11.12.2014.

With the allotment of 3,74,74,541 equity shares to Government of India on preferential basis, public shareholding has fallen to 30.76%. This has resulted in number of directors to be elected by shareholders other than Central Government to two.

In view of the aforesaid and with a view to filling in the vacancy, the Bank has decided to conduct election to elect one Director from amongst Shareholders other than the Central Government. The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedures detailed in various and relevant Act, Regulation Act, the Scheme, the Regulations and the RBI Notification, the relevant portions of which are indicated hereunder.

A Director so elected shall assume office with effect from 18.07.2015.

विधिक प्रावधान

इस संबंध में लागू होनेवाले विभिन्न अधिनियमों/योजना/विनियमावली/अधिसूचनाओं में शामिल उपबंधों के ब्यौरे निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

अधिनियम/ योजना/ विनियमावली अधिसूचनाएँ	उपबंध	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 16 (1) धारा 20	- सामान्य निदेशक पर निषेध - अपने किसी निदेशक को या उनकी ओर से, ऋण या अग्रिम मंजूर करने पर प्रतिबंध
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9 (3)(i) धारा 9(3 ए) (ए) से (सी) तक धारा 9 (3 एए) धारा 9 (3 ए बी) धारा 9 (3 बी) धारा 13 (2)	- वोटिंग अधिकार पर प्रतिबंध - शेयरधारकों द्वारा चयन किए जानेवाले निदेशकों की संख्या - कुछ क्षेत्रों में विशेष जानकारी - कोई भी व्यक्ति तब तक निदेशक बनने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह ट्रैक रिकार्ड के आधार पर निष्ठा और भा.रि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट अन्य मानदण्डों के अनुसार उचित और उपयुक्त न हो। - उस चयनित निदेशक को हटाने के लिए भा.रि.बैं. को प्राप्त अधिकार, जो उक्त अधिनियम की धारा 9 (3 ए) और 9 (3 एए) की अपेक्षाओं की पूर्ति न करता हो - निष्ठा और गोपनीयता का अनुपालन
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970	खण्ड 4 ए खण्ड 9 (4) खण्ड 10 खण्ड 11 खण्ड 11 ए खण्ड 11 बी खण्ड 12 (8)	- अतिरिक्त चयनित निदेशक को निर्धारित करने का ढंग - चयनित निदेशकों की पदावधि - बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित अनर्हता मानदण्ड - निदेशक के पद को रिक्त करना - चयनित निदेशक को पद से हटाना - चयनित निदेशक के पद को भरना - कुछ व्यवस्थाओं में निदेशकों के हितों का प्रकटीकरण जिन पर वे हितबद्ध हैं।
सिंडिकेटबैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली, 1998	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	- संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग - आम बैठक में वोटिंग - आम बैठक में चयनित किए जानेवाले निदेशकगण - शेयरधारकों की सूची - चुनाव हेतु अभ्यर्थियों का नामांकन - नामांकनों का मूल्यांकन - चुनाव संबंधी विवाद - मतदान अधिकारों का निर्धारण - सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान - प्रॉक्सी

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/Scheme/Regulations/Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 16 (1) Section 20	- Prohibition of Common Director - Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	- Restriction on voting rights - No. of directors to be elected by the shareholders - Special knowledge in certain fields - No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. - Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. - Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 4 A Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	- Manner of determination of excess elected director - Term of office of elected directors - Disqualifications from being elected as a Director of the Bank - Vacation of office of Director - Removal from office of an elected Director - Filling of vacancy in the office of an elected Director - Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Syndicate Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1998	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	- Exercise of rights of joint holders - Voting at General Meetings - Directors to be elected at General Meetings - List of Shareholders - Nomination of candidates for election - Scrutiny of nominations - Election disputes - Determination of voting rights - Voting by duly authorized representative - Proxies

अधिनियम/ योजना/ विनियमावली अधिसूचनाएँ	उपबंध	संक्षिप्त विवरण
भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08 दि. 01.11.2007 और सं. डीबीओडी बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दि. 23.05.2011	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3 ए ए) और धारा 9 (3 ए बी) के अनुसार	राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में चयनित निदेशकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदण्ड
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा जारी संदर्भ एफ. सं. 16/83/2013 -बीओ.1 दिनांक 03 सितंबर 2013 के पत्र तथा 25 मार्च 2015 को जारी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों में गैर-सरकारी निदेशक के पद हेतु विचारार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा तय मानदण्ड		सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों में गैर-सरकारी निदेशक के पद हेतु विचारार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा तय मानदण्ड
भारतीय रिज़र्व बैंक का मास्टर परिपत्र दिनांक 01 जुलाई 2014		निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान किया जाना

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks
Letter dated 3rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a non-official director in Public Sector Banks issued on March 25, 2015.		Criteria laid down by the Central Government for consideration as a non official director in Public Sector Banks
RBI Master Circular dated 1st July 2014.		Granting loans and advances to relatives of Directors

संगत अधिनियमों/योजना/विनियमावलियों/अधिसूचनाओं इत्यादि का उद्धरण

शेयरधारकों की सुविधा हेतु विनियमन अधिनियम, अधिनियम, योजना तथा भा.रि.बैं. की अधिसूचना सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08 दि. 01.11.2007 तथा सं. डीबीओडी बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दि. 23.05.2011 के संगत उद्धरणों को बैंक के वेबसाइट www.syndicatebank.in पर अपलोड किया गया है। उक्त उद्धरण को इच्छुक अभ्यर्थियों को भी ई-मेल द्वारा भेजा जाएगा बशर्ते, वे नामांकन फार्म के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्दिष्ट अंतिम तारीख यानी 11.06.2015 से पहले सिंडिकेटबैंक, महा प्रबंधक (सामान्य प्रशासन विभाग) प्रधान कार्यालय, मणिपाल को अनुरोध पत्र प्रस्तुत करें।

बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए अपेक्षित अर्हताएँ

- (I) अधिनियम की धारा 9(3ए) की शर्तों के अनुसार वह उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है और बैंक का निदेशक बनने की इच्छा रखता है,
 - ए) उसे निम्न में से किसी एक अथवा अधिक विषयों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो:
 - कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - बैंकिंग
 - सहकारिता

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS/SCHEME/REGULATIONS/NOTIFICATIONS ETC.

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from Regulation Act, the Act, the Scheme as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 is being hosted in the Bank's website www.syndicatebank.in Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Syndicate Bank, General Manager, (General Administration Department), Head Office, Manipal, on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz., 11.06.2015.

QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- (I) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank shall –
 - A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following namely:
 - agriculture and rural economy,
 - Banking,
 - Co-operation,

- अर्थशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- किसी अन्य विषय में विशेष ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो।

बी) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा

सी) किसानों, कामगारों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हो।

- (II) उक्त अधिनियम की धारा 9 (3 ए ए) की शर्तों के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी जो बैंक का शेयरधारक है और वह बैंक का निदेशक बनना चाहता है तो उससे अपेक्षा है कि वह भा.रि.बैं. द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए जानेवाले निदेशों/अधिसूचनाओं के अनुसार “उचित और उपयुक्त” स्थिति बनाए रखें।
- (III) आगे, चयनित निदेशक को चाहिए कि वे प्रसंविदा विलेख का निष्पादन करें और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्दिष्ट वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करें।

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित अनर्हता

- ए. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1980 के खंड 10 के अनुसार, निम्नलिखित प्रकार के व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित होने और निदेशक बनने के लिए अयोग्य हैं :
- ए. यदि उसे कभी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है अथवा उसने भुगतान आस्थगित किया है अथवा अपने ऋणदाताओं से समझौता किया है, अथवा
- बी. यदि उसे असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रूप में पाया गया है और सक्षम न्यायालय ने उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में घोषित किया है; अथवा
- सी. यदि उसे फौजदारी न्यायालय ने ऐसे अपराध के लिए आपराधिक सजा सुनाई है जिसमें नैतिक भ्रष्टाचार सम्मिलित हो अथवा
- डी. यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी सहायक बैंक में लाभ के पद पर है किन्तु वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 में (ई) व (एफ) खंडों के अंतर्गत बैंक के नामित, बैंक के कर्मचारियों में से, प्रबंध निदेशक और निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक के पदों को छोड़कर, ग्रहण कर सकता है।

और

- बी. भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी सं. बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दि. 23 मई 2011 के साथ पठित डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दि. 01.11.2007 की शर्तों के अनुसार और भारत सरकार द्वारा जारी गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के मानदण्ड के संबंध में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप यदि वे बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा “उचित और उपयुक्त” व्यक्ति नहीं पाए जाते हों।

- economics,
- finance,
- law,
- small scale industry,
- any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

B) represents the interest of depositors; or

C) represents the interest of farmers, workers and artisans.

(II) In terms of Section 9(3AA) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank should possess ‘Fit and Proper’ status pursuant to Reserve Bank of India’s directives/notification from time to time in this regard.

(III) Further, the elected director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- A. In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
- a. if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - b. if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - c. if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude or
 - d. if he holds any office of profit under any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under Clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

And

- B. In terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD No. BC. No. 46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011, and GOI Guidelines with regard to criteria for appointment of Non official Directors issued by GOI, he is not found to be ‘fit and proper’ person, by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

प्रतियोगी शेयरधारकों की सूची

विनियम 64 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार, शेयरधारकों को चुनाव लड़ने में मदद करने की दृष्टि से, विनिर्दिष्ट तारीख यानी दि. 22.05.2015 की स्थिति में शेयरधारकों की पूरी सूची, महा प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग, सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, डा.पे.सं. 1, मणिपाल में दि. 04.06.2015 से खरीदी हेतु उपलब्ध होगी। इसकी कीमत हार्ड प्रति के लिए ₹50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) है जिसे किसी अनुसूचित बैंक से सिंडिकेटबैंक पर आहरित बेंगलूरु में देय मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है। साफ्ट कॉपी ₹10,000/-पर उपलब्ध है।

शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर बैंक के प्रधान कार्यालय में सभी कार्यदिवसों (रविवार और बैंक अवकाश के दिनों को छोड़कर) यानी सोमवार से शुक्रवार तक अपराह्न 3.00 बजे से 5.00 बजे तक और शनिवार के दिन सुबह 11.00 बजे से मध्याह्न 1.00 तक निरीक्षण हेतु उपलब्ध है। यदि किसी शेयरधारक को रजिस्टर या उसके किसी भाग की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट आउट की जरूरत है तो उसे प्रति 1000 शब्दों या उसके भाग के लिए ₹5/- की दर से पूर्व-भुगतान करने पर उपलब्ध कराया जाएगा।

चुनाव में सहभागिता

ऐसे शेयरधारक, जिनके नामों का उल्लेख 22.05.2015 की स्थिति में एन.एस.डी.एल./सी.डी.एस.एल./एस.टी.ए. द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों/हिताधिकारी स्वामी रजिस्टर में किया गया हो, वे चुनाव में सहभागिता करने यानी अभ्यर्थियों को नामित करने, चुनाव में लड़ने तथा केन्द्र सरकार से भिन्न अन्य शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में वोट डालने के लिए पात्र हैं। विनियम 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जिसका नाम दि. 22.05.2015 को, यानी आम बैठक की तारीख से पहले निर्दिष्ट तारीख को, शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, वह अपना हाथ उठाकर अपना एक वोट डाल सकता है और मतदान के मामले में उसके पास प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा।

चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

नामांकन की वैधता

विनियमावली के विनियम 65 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दि. 1.11.2007 के साथ पठित डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दि. 23 मई 2011 तथा इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक के रूप में चुनाव हेतु किसी प्रत्याशी का नामांकन तभी वैध होगा जब:

- वह चुनाव में भाग लेने के लिए विनिर्दिष्ट तारीख, यानी 22.05.2015 को कम से कम 100 (एक सौ) शेयर रखनेवाला शेयरधारक हो और दि. 11.06.2015 तक या उसके बाद भी चुने जाने की स्थिति में, अपनी पदावधि की समाप्ति तक न्यूनतम 100 शेयर रखता हो।
- उसे, दि. 11.06.2015 (नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख) की स्थिति में, अधिनियम/विनियमन अधिनियम/योजना/विनियमावली/भा.रि.बैं. की अधिसूचनाओं/भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अधीन निदेशक बनने के लिए अयोग्य न ठहराया गया हो।

LIST OF SHAREHOLDERS TO CONTESTANTS

To enable the Shareholders to contest the election, a complete List of Shareholders as indicated in Regulation 64 of the Regulations, as of the Specified Date i.e., 22.05.2015 will be available for purchase at Head Office of the Bank with General Manager, General Administration Department, Syndicate Bank, Head Office, Post Box No.1, Manipal – 576 104, from 04.06.2015 onwards for purchase by shareholders on a pre-payment of ₹50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) by way of demand draft/pay order of a Scheduled Bank, in favour of 'SyndicateBank' payable at Bengaluru. Soft copy is available for ₹10,000/-.

INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders is also open for inspection at the Head Office of the Bank on all working days (other than Sundays & Bank holidays) i.e., Monday to Friday between 3.00 p.m. to 5.00 p.m. and on Saturday between 11.00 a.m. to 1.00 p.m. If any shareholder requires a copy or computer prints of the register or part thereof, the same shall be supplied to him on pre-payment at the rate of ₹5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

PARTICIPATION IN ELECTION

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL / STA as on 22.05.2015, shall be entitled to participate i.e. Nominate, Contest and Vote in election of Directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

As per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder as on 22.05.2015, the Specified Date, prior to the date of a general meeting, shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him/her.

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION

Validity of Nominations

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India DBOD No. BC. No. 46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No. DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- he is a shareholder holding not less than 100 (One Hundred) shares in the Bank as on 22.05.2015 being the Specified date for participating in the election; and continues to hold a minimum of 100 shares till 11.06.2015 and thereafter till the end of his tenure if he is elected.
- as on 11.06.2015 (the last date for receipt of nominations) he is not disqualified to be a Director under the Act/Regulation Act/Scheme/Regulation/RBI Notifications/GOI Guidelines;

- सी) नामांकन, इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को चुनने का हक रखनेवाले कम-से-कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा विधिवत् संगठित अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित, लिखित रूप में हो, बशर्ते, कोई शेयरधारक, जो एक कम्पनी हो, कथित कम्पनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन कर सकता है और जहाँ ऐसा किया जाता है वहाँ जिस बैठक में उक्त संकल्प को पारित किया गया हो, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सही प्रति के रूप में प्रमाणित कर महा प्रबंधक (सामान्य प्रशासन विभाग), सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, डा.पे.सं. 1, मणिपाल - 576 104 को प्रेषित किया जाए और उक्त प्रति को संबंधित कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा।
- डी) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा नामांकन के साथ इस नोटिस में प्रस्तुत नामांकन एवं घोषणा पत्र के नमूना फार्म के अनुसार, किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एश्युरेन्स का रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष विधिवत् हस्ताक्षरित इस आशय का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाए कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़ा होने का इच्छुक है और यह कि उसे बैंककारी विनियमन अधिनियम या अधिनियम या योजना या विनियमन के तहत निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
- ई) नामांकन फार्म तथा घोषणापत्र, उक्त विनियमावली द्वारा विनिर्दिष्ट और संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार हो। (प्रोफार्मा हमारे बैंक के वेबसाइट www.syndicatebank.in में भी उपलब्ध है)।

नामांकन फार्म का प्रस्तुतीकरण

केन्द्र सरकार को छोड़कर, अन्य शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों द्वारा निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत किया जाए:

- ए) विधिवत् भरे गए घोषणा-पत्र
- बी) चुनाव में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम एक सौ शेयरधारकों से नामांकन
- सी) वैयक्तिक सूचना, घोषणा-पत्र और वचन-पत्र के साथ साथ संगत दस्तावेज, शंसापत्र यानी, बायो-डाटा, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आदि संबंधी प्रमाण-पत्र को इस सूचना के साथ संलग्न फार्मेट में, संगत दस्तावेजों के साथ, एक मुहरबंद लिफाफे में डालकर स्पष्ट अक्षरों में “शेयरधारक निदेशक के चुनाव से संबंधित फार्म” लिखकर उसे महा प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग, प्रधान कार्यालय, डा.पे.सं. 1, मणिपाल-576 104 को वार्षिक आम बैठक के लिए निर्धारित तारीख से चौदह दिन पहले किसी भी कार्य दिवस को यानी दि.11.06.2015 को बैंक के कार्य समय यानी सायं 5.00 बजे से पहले प्रस्तुत किया जाए अन्यथा नामांकन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

नामांकन की जांच

- ए. नामांकनों की प्राप्ति के लिए निर्धारित तारीख के आगामी प्रथम कार्य दिवस यानी दि 12.06.2015 को नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन मान्य नहीं है तो, इसके लिए कारणों को अभिलेखित करने के बाद उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- c) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of the Bank addressed to the General Manager (General Administration Department), Post Box No. 1, Manipal – 576 104 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;
- d) the nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a Declaration by the candidate, as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any nationalised Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified from being a Director, either under the Banking Regulation Act or the Act or the Scheme or the Regulations.
- e) the nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed (The proforma is also available on the Bank's website www.syndicatebank.in.)

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government should submit:

- a) Duly filled in Declaration Form;
- b) Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz, Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc. in the formats annexed to the Notice, in a sealed envelope superscribing “Forms with regard to election of shareholder director” to the General Manager – General Administration Department, Head Office, Post Box No.1, Manipal – 576 104, together with connected documents, complete in all respects, on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e., 5.00 p.m. on 11.06.2015 failing which, the nominations are liable to be rejected.

SCRUTINY OF NOMINATIONS

- a. Nominations shall be scrutinized by the Bank on 12.06.2015, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason(s) therefor.

- बी. भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना एवं भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की नामांकन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की 'उचित और उपयुक्त स्थिति' का निर्धारण करने के लिए नामांकन पत्र की छानबीन की जाएगी ।
- सी. यदि चुनाव हेतु भरी जानेवाली एक रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त होता है तो इस प्रकार से नामित अभ्यर्थी को उसी समय निर्वाचित माना जाएगा और उसके नाम और पते को निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किया जाएगा । ऐसी स्थिति में, वार्षिक आम बैठक की कार्यसूची में उल्लिखित शेयरधारकों के निदेशक का चयन विषयक मद को वार्षिक आम बैठक में नहीं लिया जाएगा । तथापि, निर्वाचित अभ्यर्थी दि. 18 जुलाई 2015 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे ।
- डी. जितनी संख्या में निदेशकों को चुना जाना है, यदि उससे अधिक वैध नामांकन प्राप्त होते हैं तो अभ्यर्थियों के नाम अखबारों में प्रकाशित करवाए जाएँगे तथा अधिक मत प्राप्त करनेवाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा और उनके नाम की घोषणा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी एवं इसे अखबारों में प्रकाशित भी किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी दिनांक 18 जुलाई, 2015 को कार्य ग्रहण करेंगे।
- इ. यदि कोई विवाद हो तो, विनियमावली के विनियम 67 के अनुसार उसका निपटान किया जाएगा ।

दि. 26.06.2015 को मतदान की प्रक्रिया

निदेशक के चुनाव को हाथ उठाकर वोट डालने की पद्धति के आधार पर नहीं किया जाएगा, किंतु चुनाव प्रक्रिया में गुप्त मतदान का प्रयोग किया जाएगा ।

बैठक के अध्यक्ष द्वारा घोषणा करने के तुरंत बाद मतदान-पत्र जारी किया जाएगा और वह अपराह्न 1.00 बजे तक जारी रहेगा । पंजीकरण के समय जारी किए गए मतदान-पत्र को काउंटर पर प्रस्तुत करने पर शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को मतदान पत्र जारी किए जाएँगे । वोटों की संख्या, उनके द्वारा दि. 22.05.2015 (निर्धारित तारीख)/19.06.2015 (कट-ऑफ तारीख), जो भी मामला हो, को रखे गए शेयरों की संख्या के बराबर होगी ।

शेयरधारक, मत पत्र में अपनी पसंद के अनुसार अभ्यर्थियों के नामों के सामने (X) की रबड़ स्टंप लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और उसे मत पेटी में डालें ।

उसके बाद वोटों की गिनती शुरू होगी और बैठक के अध्यक्ष द्वारा परिणाम की घोषणा की जाएगी ।

संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया का आयोजन बैंक द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो एक स्वतंत्र परामर्शदाता है जिनकी नियुक्ति बैंक द्वारा उक्त उद्देश्य हेतु की गयी है और भारत सरकार के नामिती द्वारा चुनाव प्रक्रिया की देखरेख की जाएगी, जो पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे ।

नामांकन को वापस लेना

यदि कोई अभ्यर्थी अपना नामांकन वापस लेना चाहता/चाहती है तो, वह दि. 22.06.2015 तक किसी भी समय बैंक कारोबार समय की समाप्ति से पहले या शाम 5.00 बजे से पहले अपना नामांकन वापस ले सकता/सकती है ।

- b. Nominations shall also be subjected to scrutiny to determine their 'Fit & Proper Status' by the Nomination Committee of the Board in terms of Reserve Bank of India Notification and GOI Guidelines.
- c. If there is only one valid nomination for the one vacancy to be filled-in by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected. In such an event the Agenda item relating to election of Shareholder Director will not be taken up at the Annual General Meeting. However, the elected candidate shall assume office only on 18th July 2015.
- d. If valid nominations are more than one (Director to be elected), Names of the candidates shall be published in the newspapers and candidate polling the majority of the votes shall be elected and his/her name will be announced by the Chairman and also published in newspapers. He/She will assume office on 18th July 2015.
- e. If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Regulations.

POLL PROCESS on 26.06.2015

The Voting for election of directors will not be on the basis of show of hands but shall be done by Poll by means of secret Ballot.

The issue of Ballot Paper will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman of the meeting and continue upto 1.00 p.m. Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the shareholders/Proxy holders/authorized representatives on surrender of Ballot Paper issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on 22.05.2015 (Specified Date)/19.06.2015 (Cut-off Date), as the case may be.

Shareholders may exercise their right by affixing a rubber stamp (X) against the name of the candidate of their choice in the Ballot Paper and deposit them in the Ballot Box(es).

The counting of votes would be taken up thereafter and result would be announced by the Chairman of the meeting.

The entire process of Election would be conducted by the Returning Officer appointed by the Bank, an Independent Consultant appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer.

WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank on or before 5.00 p.m. on 22.06.2015.


निदेशकों की हितबद्धता

यदि बैंक के निदेशक चुनाव लड़ते हैं तो यह माना जाएगा कि वे उक्त क्रियाकलाप से संबद्ध हैं अथवा उनमें उनकी रुचि है।

INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank may be deemed to be concerned or interested in the aforementioned item of business in case they contest the Election.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते सिंडिकेटबैंक



(अरुण श्रीवास्तव)

प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

By order of the Board of Directors
For SYNDICATE BANK



(Arun Shrivastava)

Managing Director and
Chief Executive Officer

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 26.05.2015

Place : Manipal
Date : 26.05.2015

घोषणा पत्र
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)
(विनियमावली के विनियम 65 का संदर्भ लें)

मैं, श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नीश्री/श्रीमती.....

..... निवासी एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि:

- ए) मैं सिंडिकेटबैंक का शेरधारक हूँ और 22.05.2015 को यानी चुनाव में सहभागिता करने के लिए विनिर्दिष्ट तारीख को मेरे पास ₹10/- के
ईक्विटी शेर हैं और यदि चयनित होता हूँ तो, मेरी अवधि की समाप्ति तक मैं न्यूनतम 100 ईक्विटी शेर रखूंगा; और
- बी) *मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग, या.....
(विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिमत के अनुसार बैंक के लिए उपयोगी हो) में विशेष जानकारी है और उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 ए की शर्तों के अनुसार मैं जमाकर्ताओं, किसानों, कामगारों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता/करती हूँ और इसके सदस्यस्वरूप, मैं इसके साथ संगत प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर रहा /रही हूँ; और
- सी) मैं संख्यावाले नामांकों को स्वीकार करता/करती हूँ; और
- डी) मैं सिंडिकेटबैंक के निदेशक के चुनाव में सहभागिता करना चाहता/चाहती हूँ; और
- इ) मुझे, अधिनियम, योजना, विनियमावली, भा.रि.बैं. की अधिसूचना, के अंतर्गत बैंक के निदेशक बनने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है; और
- एफ) मैं न तो किसी लाभकारी पद पर हूँ न ही किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूँ; और
- जी) मुझे किसी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा दोषी करार नहीं किया गया है; और
- एच) मैं न किसी किराये पर खरीदने, वित्तीयन, निवेश, पट्टा तथा अन्य पारा बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़ा हूँ और न ही कोई सांसद/एमएलए/एमएलसी/स्टॉक ब्रोकर हूँ।
- आई) मैं किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्था या भा. रि. बैं. या बीमा कंपनी का निदेशक नहीं हूँ; तथा
- जे) मैं पूर्व में किसी बैंक के बोर्ड, अथवा वित्तीय संस्था अथवा भा. रि. बैं. या बीमा कंपनी के किसी भी श्रेणी के अंतर्गत दो वर्षों के लिए या 6 वर्षों के लिए, जो भी अधिक हो, के निदेशक पद पर नहीं रहा हूँ; तथा
- के) इस घोषणा के बाद घटनेवाली उन सभी घटनाओं की पूरी सूचना बैंक को देने का वचन देता/देती हूँ जो प्रदान की गयी सूचनाओं से संबद्ध हो और बैंक के निदेशक के रूप में मेरे चयन होने के बाद मैं प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता/देती हूँ।
- एल) मैं सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया हूँ।
- एम) मैं अपना वैयक्तिक विवरण संलग्न कर रहा /रही हूँ जो मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं. (यदि बेकागजीकृत नहीं हो)	
डी.पी.आई.डी. सं. तथा ग्राहक आई.डी. सं. (यदि बेकागजीकृत हो)	
स्थान	
दिनांक	

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एशोरेन्स का रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार, या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या सिंडिकेटबैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर। उपर्युक्त घोषणा पत्र पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये गए।

मोहर सहित हस्ताक्षर

नाम

दिनांक

*जो लागू है उस पर निशान लगाएँ

DECLARATION
(BY THE CANDIDATE)

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, Shri/Smt. _____ son/daughter/wife of
Shri/Smt. _____, a resident of _____ hereby confirm that:

- a) I am a shareholder holding _____ equity shares of ₹10/- each of the Bank as on 22.05.2015 i.e., the Specified date for participating in the elections and will hold a minimum of 100 equity shares till the end of my tenure, if elected; and
- b) *I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or _____ (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors, or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials; and
- c) I accept the nominations numbering _____; and
- d) I am willing to contest for the election of Director of Syndicate Bank; and
- e) I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Act, Scheme, Regulations and RBI Notification; and
- f) I neither hold any office of profit nor am an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959; and
- g) I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court, and
- h) I am not connected with any hire purchase, financing, investment, leasing and other para-banking activities and I am not a MP/MLA/MLC/Stock broker.
- i) I am not a Director in any other Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company; and
- j) I have not been a Director on the Board of any Bank, or Financial Institution or RBI or **Insurance** Company in the past, under any category for two terms or six years, whichever is longer, and
- k) I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.
- l) I am not disqualified from being appointed as a Director pursuant to Clause 49 of the Listing Agreement.
- m) I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete

Name	
Signature	
No. of Shares	
Regd. Folio No. (If not dematerialised)	
DP ID No. & Client ID No. (if dematerialised)	
Place	
Date	

Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or any officer of the Reserve Bank of India or Syndicate Bank or any nationalised bank. The above declaration was signed before me.

Signature with Seal
Name
Date

* Tick whichever is applicable.

व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा एवं वचन
बैंक का नाम: सिंडिकेट बैंक

यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो
चिपकाएँ

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा और वचन
(दि. 22-5-2015 की स्थिति के अनुसार विनियोजित अनुबंधों के साथ)

I		अभ्यर्थी के वैयक्तिक ब्यौरे
ए)	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) पिता का पूरा नाम	
बी)	जन्म तिथि	
सी)	शैक्षिक योग्यता (शैक्षिक/अकादमिक) (जानकारी से संबंधित स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें) (शैक्षिक/व्यावसायिक) (जानकारी से संबंधित स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
डी)	संगत पृष्ठभूमि और अनुभव (बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3-ए) का संदर्भ लें।) (बैंक में निदेशक पद से संबंधित अनुभवों का उल्लेख करें।)	
ई)	स्थायी पता	
एफ)	वर्तमान पता	
जी)	ई-मेल पता दूरभाष सं. (लैंड लाइन) दूरभाष सं. (मोबाइल)	
एच)	1) आय कर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या (प्रतिलिपि संलग्न करें) 2) आय कर सर्किल/मंडल का नाम और पता जहाँ व्यक्तिगत रिटर्न भरा जाता हो।	
आई)	संगत पृष्ठभूमि और अनुभव-बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3-ए) का संदर्भ लें।	
जे)	बैंक के निदेशकत्व से संबद्ध अन्य कोई सूचना	
II		अभ्यर्थी के साथ संबंध
ए)	उन रिश्तेदारों, यदि कोई हो, की सूची जो बैंक के साथ संबंध रखते हैं (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) का संदर्भ लें)	

Personal Information, Declaration and Undertaking

Name of the Bank: Syndicate Bank

Affix
passport size
photo here

Declaration & Undertaking by the Candidate (With enclosures as appropriate as on 22.05.2015)

I Personal details of Candidate		
a)	Full Name (in block capital letters) Father's Name (in Full)	
b)	Date of Birth	
c)	Educational Qualifications (Educational/ academic) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information). (Educational/ professional) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
d)	Relevant Background and Experience (As required under Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & transfer of Undertakings) Act, 1970. (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank).	
e)	Permanent Address	
f)	Present Address	
g)	E-mail Address Telephone Number (Landline) Telephone Number (Mobile)	
h)	1) Permanent Account Number under the Income Tax Act (Please enclose a copy) 2) Name and Address of the Income Tax Circle/ Division where personal tax returns are being filed.	
i)	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A)) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970	
j)	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
II Relevant Relationships of Candidate		
a)	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013)	

	बी)	उन संस्थाओं, यदि कोई हो, की सूची जिनमें वे हितबद्ध हो (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 184 और धारा 2(49) का संदर्भ लें)	
	सी)	उन संस्थाओं की सूची जिनमें वे बैंकिंग विनियमावली अधिनियम 1949 की धारा 5 (एन.ई.) के अर्थ के अंतर्गत पर्याप्त हित रखते/रखती हो, वर्तमान और प्रस्तावित।	
	डी)	उस बैंक का नाम जिसमें वे बोर्ड के सदस्य हो या रहे हों (पदावधि के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएं)।	
	ई)	बैंक से उनके द्वारा और/या उपर्युक्त II (बी) और (सी) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा वर्तमान में धारित निधिक और गैर-निधिक सुविधाएँ, यदि कोई हो।	
	एफ)	यदि कोई मामलें हो, या उपर्युक्त II (बी) और (सी) में सूचीबद्ध संस्थाओं ने बैंक से या अन्य किसी बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में चूक की है या चूक कर रहे है।	
III व्यावसायिक उपलब्धियों का अभिलेख			
	ए)	व्यावसायिक उपलब्धियाँ	
IV अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही, यदि कुछ हो:			
	ए)	यदि अभ्यर्थी किसी व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य है तो अनुशासनिक कार्रवाइयों का विवरण, यदि कुछ हो, उनके विरुद्ध लंबित या चल रही या अतीत में इसमें प्रभावित कार्रवाई, अथवा उन्हें क्या किसी व्यावसायिक/पेशे में आने के लिए कभी निषिद्ध/निषेधित किया गया था।	
	बी)	अभियोजना का विवरण, यदि कुछ हो, अभ्यर्थी और/या उक्त मद सं. II (ख) एवं (ग) में उद्धृत किसी सदस्यों के विरुद्ध लंबित या चल रही या अतीत में इससे प्रभावित किसी प्रकार की कार्रवाई जिससे आर्थिक नियमों तथा विनियमों की अवहेलना हो।	
	सी)	अभ्यर्थी के विरुद्ध, यदि कुछ हो, लंबित या चल रही अथवा अतीत में इससे प्रभावित किसी प्रकार का अभियोजन।	
	डी)	क्या अभ्यर्थी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के तहत किसी प्रकार की परिकल्पित अयोग्यता दर्शायी है ?	
	ई)	क्या अभ्यर्थी या उक्त मद सं. II (बी) तथा (सी) में सूचित कोई सदस्य, किसी सरकारी विभाग या एजेंसी के मामले में किसी प्रकार की पड़ताल से संबद्ध हैं ?	
	एफ)	क्या अभ्यर्थी ने पहले कभी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व प्राधिकरणों संबंधी नियमों/विनियमों/विधायी अपेक्षाओं का उल्लंघन किया है, यदि हाँ तो विवरण दें।	

	b)	List of entities, if any, in which he/she is considered as being interested (Refer Section 184 and Section 2(49) of the Companies Act, 2013)	
	c)	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
	d)	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)	
	e)	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the Bank	
	f)	Cases, if any, where the Candidate or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	
III Records of professional achievements			
	a)	Professional achievements relevant	
IV Proceedings, if any, against the Candidate			
	a)	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.	
	b)	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations	
	c)	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate	
	d)	Whether the Candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Company's Act, 2013?	
	e)	Has the Candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
	f)	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/legislative requirements by customs/excise/income tax/foreign exchange/other revenue authorities, if so give particulars	

	<p>जी) क्या अभ्यर्थी को पहले कभी सेबी, आई.आर. डी.ए., डी.सी.ए. भा.रि.बै., फेमा, एम.सी.ए., सिबिल जैसे नियंत्रण तंत्र से प्रतिकूल नोटिस मिल चुकी है?</p> <p>(हालांकि किसी भी प्रत्याशी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि, इस कॉलम में वैसे आदेशों तथा निष्कर्षों को लिखा जाए जिन्हें बाद में नियंत्रक तंत्र द्वारा वापस ले लिया गया हो या छोड़ दिया गया हो। इस बारे में यह सूचित करना आवश्यक होगा बशर्ते वह सीमा या क्षेत्राधिकार से बाहर जैसे कारणों से वापस लिया गया हो/छोड़ा गया हो न कि व्यक्तिगत गुणों के कारण। यदि नियंत्रक तंत्र का आदेश अस्थायी रूप से रोका गया है तथा अपील/न्यायालयीन कार्यवाहियाँ लंबित हैं तो इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।)</p>	
V	<p>मद सं. I से III तक के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना तथा उपयुक्त एवं उचित का निर्णय करने संबंधी कोई अन्य सूचना</p>	

वचन

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री
 पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी में सत्य एवं पूर्ण है। मैं वचन देता/देती हूँ कि ऊपर वर्णित सभी बातें जिनसे मेरी नियुक्ति का संबंध है तथा उनसे संबंधित सभी सूचनाओं एवं सभी घटनाओं से बैंक को यथाशीघ्र अवगत कराता/कराती रहूँगा/कराती रहूँगी।

मैं, बैंक के निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने संबंधी सभी अपेक्षित विलेखों को निष्पादित करने का भी वचन देता/देती हूँ।

स्थान :

दिनांक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

संलग्न:

1. यदि स्थान पर्याप्त न हो तो जानकारी क्रमानुसार तथा उचित संदर्भ सहित, अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
2. अनुलग्नक सहित सभी पृष्ठों पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।

नामांकन समिति की टिप्पणियाँ/अभियुक्तियाँ

समिति सदस्य	समिति सदस्य	समिति सदस्य	समिति सदस्य

स्थान :

दिनांक :

	<p>g) Whether the Candidate at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, FEMA, MCA CIBIL etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit. If the order of regulator is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned).</p>	
V	Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper	

Undertaking

I _____ Son/ Daughter / Wife of Shri _____ confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of covenants required to be executed by all directors of the bank.

Place :

Date :

Signature of Candidate

Enclosures:

1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.
2. Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

Observations / Remarks of the Nomination Committee:

Committee Member	Committee Member	Committee Member	Committee Member

Place :

Date :

नामांकन फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा जाए)

(विनियमावली के विनियम 65 (डी) का संदर्भ लें)

सेवा में

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सिंडिकेटबैंक

प्रधान कार्यालय, मणिपाल

प्रिय महोदय,

निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन

दिनांक 26.05.2015 की आपकी नोटिस के संदर्भ में मैं, श्री/श्रीमती
सिंडिकेटबैंक का शेयरधारक हूँ और मैं, शुक्रवार दि. 22 मई 2015 (चुनाव में सहभागिता करने के लिए विनिर्दिष्ट तारीख) को ईक्विटी शेयर
रखता/रखती हूँ जिनका मूल्य प्रति शेयर ₹10 है और मैं श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी
श्री/श्रीमती.....निवासी.....
..... को 26.06.2015 को मणिपाल में आयोजित की जानेवाली
बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के उपबंधों के अनुसार
बैंक के शेयरधारकों के प्रतिनिधि के रूप में सिंडिकेटबैंक के निदेशक के पद पर निर्वाचित होने के लिए नामित करता/करती हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं. (यदि बेकागजीकृत नहीं हो)	
डी.पी.आई.डी. सं. तथा ग्राहक आई.डी. सं. (यदि बेकागजीकृत हो)	
स्थान	
दिनांक	

नोट:

- ए) यदि नामांकन किसी कॉर्पोरेट निकाय द्वारा किया गया है तो नामांकन फॉर्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की प्रमाणित सत्यप्रति संलग्न की जाए जिस पर उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो जिसमें संकल्प पारित हुआ है।
- बी) अभ्यर्थी को नामित करनेवाले शेयरधारक के हस्ताक्षर का मिलान बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के साथ होने चाहिए।

NOMINATION FORM

(By the Shareholder)

[Refer Regulation 65(d) of the Regulations]

To
The Managing Director and Chief Executive Officer
Syndicate Bank
HO, Manipal.

Sirs,
Nomination for election of a Director

With reference to your Notice dated 26.05.2015, I Shri/Smt. _____
a shareholder of Syndicate Bank holding _____ equity shares of ₹10/- each as on Friday the 22nd May 2015 (being the Specified date considered for participating in the election), do hereby nominate Shri/Smt. _____
son/daughter/wife of _____ residing at _____
_____ for being elected as a Director of Syndicate Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on 26.06.2015 at Manipal.

Name	
Signature	
No. of Shares	
Regd. Folio No. (If not dematerialised)	
DP ID No. & Client ID No. (if dematerialised)	
Place	
Date	

Notes:

- In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signatures available with the Share Transfer Agents of the Bank.



प्रधान कार्यालय : मणिपाल

उपस्थिति पर्ची

(बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय प्रस्तुत की जाए)

दिनांक : 26 जून, 2015

समय : प्रातः 11.00 बजे

स्थान : सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल

बैंक की 16 वीं वार्षिक आम बैठक में मैं एतद्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो		डीपी आईडी	
		ग्राहक आईडी	
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)		(यदि बेकागजीकृत हो)	
शेयरधारक का नाम :			
शेयरों की संख्या :			

प्रवेश पत्र

(बैठक के अंत तक रखा जाए)

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो		डीपी आईडी	
		ग्राहक आईडी	
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)		(यदि बेकागजीकृत हो)	
शेयरधारक का नाम :			
शेयरों की संख्या :			

मतदान पत्र पास

(मतदान पत्र प्राप्त करने के लिए मतदान काउंटर्स पर अभ्यर्पित किया जाए)

वार्षिक आम बैठक की तारीख 26 जून 2015 सुबह 11.00 बजे

नाम, स्पष्ट अक्षरों में (शेयरधारक/प्रॉक्सी/ए.आर.)	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो	डीपी आईडी और ग्राहक आईडी
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)	(यदि बेकागजीकृत हो)
उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

शेयरधारक/प्रॉक्सी या शेयरधारकों के प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय, उपर्युक्त उपस्थिति-पर्ची, जिस पर बैंक के पास पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षर किए गये हों, तथा प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करें। आवश्यकता पड़ने पर, उपर्युक्त का सत्यापन/परीक्षण किया जाएगा और तदनुसार प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रवेश-पत्र अंश को शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा, जिसे बैठक के अंत तक रखा जाना चाहिए। किन्हीं भी परिस्थितियों में बैठक के प्रवेश द्वार पर डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र-मतदान-पत्र पास जारी नहीं की जाएगी।



Head Office : Manipal

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date : 26th June, 2015

Time : 11.00 a.m.

Place : SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal

I hereby record my presence at the 16th Annual General Meeting of the Bank.

Signature of the Shareholder/Proxy/Representative present			
Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
(If not dematerialised)		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder:			
Number of Shares:			

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/Proxy/Representative present			
Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
(If not dematerialised)		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder:			
Number of Shares:			

BALLOT PAPER PASS

(to be surrendered to the Polling counters to get Ballot Paper)

Annual General Meeting Date: 26th June 2015 at 11.00 a.m.

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/AR)	
No. of Shares	
Regd. Folio	DP ID & Client ID
(If not dematerialised)	(If dematerialised)
Signature of the Shareholder/Proxy/Representative Present	

Shareholders/Proxy or Authorized Representative of shareholders are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. The entry pass portion will be handed back to the shareholders/proxy/Representatives, who should retain till the conclusion of the meeting. Under no circumstances, any duplicate attendance slip-cum Entry Pass-Ballot Paper Pass will be issued at the entrance to the meeting.



प्रधान कार्यालय : मणिपाल

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

पंजीकृत फोलियो
(यदि बेकागजीकृत नहीं है)
डी पी आई डी व ग्राहक आई डी
(यदि बेकागजीकृत है)

मैं/हम _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____

सिंडिकेटबैंक, मणिपाल के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती _____

निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को, अथवा इनके न होने पर,

श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को

सिंडिकेटबैंक के स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल में दि. 26.06.2015 को प्रातः 11.00 बजे होनेवाली सिंडिकेटबैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

वर्ष 2015 के _____ माह के _____ दिन को हस्ताक्षरित

कृपया ₹1/-
का राजस्व
टिकट लगाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश

1. प्रॉक्सी लिखत तभी वैध होगा जब
 - ए) व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में, वह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
 - बी) संयुक्त धारकों के मामले में, रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
 - सी) किसी कंपनी निकाय के मामले में, वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
2. प्रॉक्सी लिखत पर शेयरधारक सदस्य के विधिवत् हस्ताक्षर होने चाहिए। किन्तु शेयरधारक सदस्य किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ है और अगर वह उस पर अंगूठा निशान अंकित करता है तो जज, मजिस्ट्रेट या एश्युरेन्स का रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सिंडिकेटबैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
3. प्रॉक्सी के साथ
 - ए) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
 - बी) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की प्रति वार्षिक आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् 20 जून 2015, शनिवार को कार्य समय के दौरान या उससे पहले प्र.का. सिंडिकेटबैंक नेगम सूचना केंद्र, सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल - 576 104 में जमा की जानी चाहिए।
4. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक उस पर विधिवत राजस्व टिकट लगा न हो।
5. बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी।
6. यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो, एक से अधिक फार्म निष्पादित न किए जाएं।
7. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित किया है, वह उस लिखत से संबंधित वार्षिक आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो।
8. सिंडिकेटबैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाए।



Head Office : Manipal

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio
(If not dematerialised)
DP ID & Client ID
(If dematerialised)

I/We _____ resident(s) of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/shareholder(s) of SyndicateBank, Manipal, hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ **OR** failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders of SyndicateBank to be held on 26th June, 2015 at 11.00 a.m. at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2015.

Please
Affix
₹ 1/-
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

Signature of First named/Sole Shareholder

Name :

Address :

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of SyndicateBank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Syndicate Bank with Corporate Information Centre, Manipal – 576 104 not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on 20.06.2015.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Syndicate Bank.